Classroom Study Material

सामाजिक मुद्दे-I

October 2016 – June 2017

Note: July, August and September Material will be updated in September Last week.
विषय सूची

1. सुभेद्य समूहों से सम्बंधित मुद्दे .............................................................................................................. 3

1.1. महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे .................................................................................................................. 3
   1.1.1. कामकाजी महिलाओं से संबंधित मुद्दे ........................................................................ 3
   1.1.2. महिलाओं के प्रति भेदभाव .................................................................................................. 10
   1.1.3. महिलाओं के विरुद्ध अपराध ................................................................................................. 21
   1.1.4. अन्य सरकारी पहले ................................................................................................................. 27
   1.1.5 राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का मार्गदर्शन .................................................................. 28

1.2. ट्रांसजेंडर समुदाय से सम्बंधित मुद्दे ................................................................................................. 30

1.3. बच्चों से संबंधित मुद्दे .................................................................................................................. 32
   1.3.1. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना, 2016 ........................................................................ 33
   1.3.2. बाल दंतक योजना ..................................................................................................................... 34
   1.3.3. बाल अपहरण ............................................................................................................................. 35
   1.3.4. बाल उपल शेयर .......................................................................................................................... 36
   1.3.5. बाल/किशोर अपराध ................................................................................................................ 38
   1.3.6. बाल विवाद .................................................................................................................................. 41
   1.3.7. बाल धम ....................................................................................................................................... 44
### 1. सुभेद्य समूहों से सम्बंधित मुद्दे

**(ISSUES RELATED TO VULNERABLE SECTIONS)**

#### 1.1. महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे

**(Issues Related to Women)**

#### 1.1.1. कामकाजी महिलाओं से संबंधित मुद्दे

**(Working Women Issues)**

#### 1.1.1.1. मातृत्व लाभ

**(Maternity Benefit)**

**सुश्रुंगों में क्यों?**

- हाल ही में सरकार द्वारा मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 को अधिमूर्तित किया गया। इसके द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत प्रदत मातृत्व अब्जुक की अवधि एवं प्रयोजन के संबंधित कुछ प्राधान्यों तथा कुछ अन्य सुविधाओं में संशोधन किया गया है।

**मातृत्व अब्जुक क्यों आवश्यक हैं?**

- प्रारंभिक छ: माता तक सनानापान लिये में रोग प्रतिरोधक ककस्मिन्त सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। यह कदम ललित मृत्यु दर को कम करेगा।
- इसके साथ ही WHO तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि कम से कम छ: माता के लिए बच्चे की पूरी देखभाल माता के द्वारा ही जानी चाहिए।
- संशोधन का अनुस्नेष-42 सभी कामकाजी महिलाओं को मातृत्व लाभों की गारंटी प्रदान करता है।

**विशेषता की मुख्य विशेषताएं**

- यह अधिनियम 10 या उस से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी संस्थाओं पर लागू है।
- मातृत्व अब्जुक की अवधि: अधिनियम के अनुसार प्रत्येक औरत 12 हफ्तों के मातृत्व लाभ की हकदार होती थी। प्रस्तावित संशोधन में यह अवधि क्रमशः 26 सप्ताह कर दी गयी है।
- अधिनियम के अंतर्गत, इस मातृत्व लाभ का उपयोग डिनिबार की अपेक्षित तारीख के 42 हफ्तों में पहले नहीं दिया जा सकता है। संशोधन में यह अवधि आठ सप्ताह कर दी गयी है।
- ऐसे मामले जिनमें किसी औरत के दो या दो से अधिक बच्चे हैं, में मातृत्व लाभ 12 सप्ताह के लिए दिया जाता जारी रहेगा।

**दस्तक और कमीशन माताओं के लिए मातृत्व अब्जुक: संशोधन के अनुसार निस्स स्थितियों में 12 सप्ताह का मातृत्व अब्जुक प्रदान करने का प्राधान्य है:**

- जब कोई औरत कानूनी तौर पर तीन महीने से कम उस के बच्चे को गोद लेती है;
- जब कोई औरत कमीशन माता (जिसमें गरोंगेसी के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया हो) है। कमीशन माता को जैविक और के रूप में परिभाषित किया गया है जो भूमि बनाने के लिए अपने अंधे का उपयोग करती है तथा उसे किसी दूसरी औरत में प्रत्यारोपित करती है।
घर से काम करने का विकल्प: विधेयक के एक प्रावधान में यह कहा गया है कि नियोजक अवकाश अवधि के दौरान भी घर से काम करने के लिए किसी महिला को अनुमति दे सकता है।

क्रेच(शिशु पूर्व) सुविधाएं: विधेयक के प्रावधान अनुसार, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली प्रयोक्ता संस्था द्वारा एक निर्धारित दूरी के अंतर क्रेच की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

मातृत्व अवकाश के अंतिम के बारे में महिला कर्मचारियों को सूचित करना: विधेयक के एक प्रावधान के अंतरिक्ष संस्था द्वारा महिला कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के समय उसके पास उपलब्ध मातृत्व लाभ के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

ख के अन्य देशों के प्रावधानः

- ब्रिटेन में माता-पिता बच्चे के जन्म के बाद 12 माह का अवकाश प्राम कर सकते हैं।
- एशियाई देशों में, जापान माता-पिता को एक वर्ष का अवितनक अवकाश प्रदान करता है। दक्षिण कोरिया माता-पिता दोनों को एक वर्ष तक के अवितनक भुगतान युक्त अवकाश की अनुमति देता है।
- यूरोप में बच्चे के जन्म पर माता को सामान्यतः 14 से 22 सप्ताह के बीच का वैतनक अवकाश प्रदान किया जाता है।

संशोधन विषयक की आलोचनात्मक समीक्षा

सकारात्मक पक्ष

- इस संशोधन में 26 साल के मातृत्व अवकाश का प्रावधान निकाय गया है जो ILO द्वारा निर्धारित 14 साल के न्यूनतम मानक से अधिक है। इसमें मातृत्व अवकाश के लिए निर्धारित सालों की संख्या के सन्दर्भ में भारत की प्रतिक में सुधार होगा।
- इस संशोधनों में संवीत क्षेत्र में काम करने वाली 18 लाख महिला कर्मचारियों को मदद मिलेगी।
- ये महिलाओं को उनके बच्चों का ख्याल रखने के लिए समय उपलब्ध कराने में भी मदद करेंगे और भारत में महिलाओं की धम धकिया से भारी महिलाओं की दूरी करने में मदद करेगी।
- पर्यांत मातृत्व अवकाश और अप भोजन की अनुपस्थिति के कारण महिलाएं अस्वस्थ में जिला रहती हैं यह संशोधन अधिनियम महिलाओं को समान उपलब्ध जन्म से सुधार करेगा।
- कानून द्वारा मातृत्व अवकाश और आवश्यकता की अनुस्चिति के कारण महिलाएं अस्वस्थ में जिला रहती हैं यह संशोधन अधिनियम महिलाओं को समान उपलब्ध जन्म से सुधार करेगा।
- ब्रिटेन में माता-पिता को बच्चे के जन्म पर अवस्थ से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने में भी मदद करेगी और भारत में महिलाओं की समान उपलब्ध जन्म से सुधार करेगा।
- ये महिलाओं को बच्चों का ख्याल रखने के लिए समय उपलब्ध कराने में भी मदद करेंगे और भारत में महिलाओं की धम धकिया से समान उपलब्ध जन्म से सुधार होगा।

नकारात्मक पक्ष

- इस संशोधन के अंतर्गत माताओं की पहचान प्राथमिक देखभालकार के रूप में की गई है तिथि जिसे किसी महिला के देखभाल में बिता के भूमिका की उपलब्धि की गई है। इस संशोधन के अंतर्गत माता अवकाश के रूप में की गई है तिथि महिला के देखभाल में बिता के भूमिका की उपलब्धि की गई है। अतः यह संशोधन अवश्यक को ही मजबूती प्रदान करता है जिसमें कि पिता को नवजात बच्चे के साथ समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें निर्धारित अवकाश का कोई उल्लेख नहीं है।
- इस संशोधन के दो दो दृष्टिकोणों को शामिल नहीं किया गया है। दो दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है। अतः यह संशोधन विषय के अवकाश परिचित विषयों के कारण महिलाओं की जन्मदिन में पुरुषों को अधिक भुगतान करने के लिए उपलब्ध कराना है। यह संशोधन में निहित "समान कार्य के लिए समान बच्चे" के निर्देश समझा को भी कमजोर करता है।
- संशोधन में एकल पिता या द्रुत सूचना द्वारा बच्चा गोद लेने के प्रावधान को भी अनदेखा किया गया है।
- यह संशोधन नियोजकों को महिला कार्यवाह के भारी करने से भी रोक सकता है। जिसमें मुफ्त रोजगार बाजार में पुरुष कर्मचारियों के साथ महिला कर्मचारियों की कम मांग होगी तथा रोजगार के क्षेत्र में जंग गैर अधिक बना ही रहेगा।

Karol Bagh 1/8-B, 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Gate 6, Karol Bagh Metro, Delhi-110005
Mukherjee Nagar: 101, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Delhi-110009
4 www.visionias.in 8468022022 ©Vision IAS
संशोधन में नियोजित को मातृत्व अवकाश के दौरान महिला की पूर्ण वैज्ञानिक भूमि का भुगतान करने का प्राथमिकता किया गया है। अतः 12 से 26 सप्ताहों तक मातृत्व अवकाश बढ़ने से महिलाओं के लिए उपलब्ध रोजगार अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके द्वारा नियोजितों की लागत में बृद्ध होगी, परिणामस्वरूप, श्रमिकों की भत्ती हेतु पुरुषों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पितृत्व अवकाश
- मातृत्व अवकाश के तर्ज पर पितृत्व अवकाश, पिता बनाने पर पुरुष कर्मचारियों को दिया गया है, जबकि निजी क्षेत्र में पितृत्व अवकाश के संबंध में कोई कानून नहीं है।

भारत में, सार्वजनिक क्षेत्र में 15 दिनों के पितृत्व अवकाश का प्राथमिकता है, जबकि निजी क्षेत्र में पितृत्व अवकाश के संबंध में कोई कानून नहीं है।

चुनौतियाँ
- पितृत्व अवकाश के महत्व की हालत और जागरूकता की कमी।
- कर्मचारियों द्वारा दर्पणविद्या का जानने की समस्या।
- पुरुषों के लिए पितृत्व अवकाश लेने सम्बन्धी प्रश्न।
- आगे की चुनौतियाँ
- मातृत्व अवकाश के बिन्दुमात्र पर पुरुषों का रोजगार करने में दर्द अभाव का प्रभाव।
- मातृत्व अवकाश में श्रमिकों के लिए आर्थिक बोझ के नियम।
- महिलाओं के मातृत्व अवकाश के बिन्दुमात्र पर रोजगार करने में दर्द अभाव का प्रभाव।
- महिलाओं के मातृत्व अवकाश के बिन्दुमात्र पर रोजगार करने में दर्द अभाव का प्रभाव।
- आगे का राह
- संशोधन वित्तीय बोझ के कारण महिलाओं को युवा विवाहित महिला कर्मचारियों की भत्ती करने से रोक सकता है।
- अगले की चुनौतियाँ
- दुरुपयोग के लिए पालिका का संकेत।
- पुरुषों के लिए पितृत्व अवकाश लेने सम्बन्धी उल्लेख।
1.1.1.2 निम्न महिला धम्भ धम्भ भागीदारी दर

(Low LFPR)

प्रारंभिक व्याख्याएँ

- इंटरनेशनल मोनेटरी फंड बर्निंग पेपर: - उभरते बाजारों और विकासशील देशों में भारत की महिला धम्भ धम्भ भागीदारी (female labour force participation: FLFP) दर न्यूनतम है।
- FLFP को उन महिलाओं की हिस्सेदारी के रूप में मापा जाता है जो या तो कार्यरत हैं या कामकाजी आयुष्य की महिला जनसंख्या के हिस्से के रूप में कार्य प्रारंभ करने का प्रयास कर रही हैं।

जनगणना 2011

- संगठित क्षेत्र में कुल महिला तम्भ धम्भ धम्भ का 20.5% कार्यरत था। इसमें से 18.1% महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में जबकि 24.3% निजी क्षेत्र में कार्यरत थी।
- सभी आयु समूहों में महिलाओं की कुल धम्भ धम्भ में भागीदारी दर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में क्रमशः 25.3 और 15.5 प्रतिशत थी।
- सभी अयु समूहों में महिलाओं की कुल श्रम धम्भ में भागीदारी दर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उन क्रमशः 55.3 और 56.3 प्रतिशत थी।

कुछ विवरण क्षेत्रों में समग्र कार्यरत धम्भ धम्भ महिलाओं की भागीदारी विषमतापूर्ण (skewed) है। उदाहरण के लिए-

- अवगमित क्षेत्र- 90% भारतीय धम्भ अवगमित क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में न ही महिलाओं को भ्रष्ट होने वाला पारिशुल्क क्षेत्र भर अपने सुविधानुसार कार्य करने की स्तब्धता, बढ़तों के देखभाल के लिए आवश्यक समय तथा मातृवर्धन अवकाश की अनुपलब्धता भी है। यही कारण है कि महिलाएं घरों से बाहर काम की तलाश के लिए प्रेरित नहीं हो पाती हैं।
- विनियोग और सेवाएँ- महिलाओं को प्राप्त कुल ग्रामीण रोजगार में इस क्षेत्र का योगदान मात्र 18 प्रतिशत है।
- कृषि- महिलाओं को प्राप्त रोजगार में 75 प्रतिशत भागीदारी के साथ यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
- ब्लू कॉलर नौकरी- महिलाओं के लिए जब ब्लू कॉलर नौकरियों में आवश्यक समय हुए हैं तो महिलाओं को प्राप्त अवसरों में बुद्धि हुई है।

निम्न धम्भ धम्भ भागीदारी के कारण:

- पुरुषों की बढ़ती आय- परिवार में जब पुरुषों ने काम करने का अधिक श्रम अंतर्गत करने लगता है तो महिलाओं के घरे घर तत्त्वत विविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण उपचारिक अवकाशस्थान में उनकी भागीदारी कम हो जाती है।
- जाति एक निर्यातक तत्व के रूप में- कुछ महिलाओं द्वारा कार्यरत कुछ उद्भव जातियों में जब से बाहर महिलाओं के काम करने को निवृत्त माना जाता है विशेषकर विशेषकर पारिशुल्क क्षेत्र के मातृवर्धन के लिए आवश्यक समय तथा मातृवर्धन अवकाश की अनुपलब्धता भी है। यही कारण है कि महिलाएं घरों से बाहर काम की तलाश के लिए प्रेरित नहीं हो पाती हैं।
- कार्यक्षेत्र पर सुरक्षा के मुद्दे और उल्लेख- भारत जैसे विकासशील देशों में महिलाओं कार्यक्षेत्र पर शोषण और उल्लेख के सन्दर्भ में अधिक उभरी हैं। वे उल्लेख के खिलाफ प्रभावी रूप से लड़ने में भी जी समर्थ हैं।
- मातृवर्धन धम्भ धम्भ में कामकाजी आयुष्य की महिलाओं का नामांकन बढ़ रहा है।
- देश में आधुनिक विकास की प्रकृति ऐसी है कि उन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं उत्पन्न नहीं हो रही हैं जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के धम्भ धम्भ को आमानी से अविश्वसन कर सकें।
कार्यालय में महिलाओं की भागीदारी में कैसे वृद्धि की जाये?

- माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लिंग अंतराल को कम करना।
- पुरुष प्रधान क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना।
- प्रायद्वारा में महिलाओं हेतु आवश्यक वैश्विक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- महिला उद्यमियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय क्षेत्र तक उनकी पहुंच में वृद्धि करना।
- निजी क्षेत्र के संचालकों में लैंगिक विविधता सम्बन्धी नीतियों और परम्पराओं को बढ़ावा देना।
- महिलाओं के लिए मानवीय प्रबंधन को सुधारने इन कानूनों को लागू करना।
- विद्यार्थी वाणिज्य में सुधार करना।
- बन्धन में महिलाओं की भागीदारी के सम्बन्ध में सामाजिक अभिवृद्धियों और विचारों को पुनः आकार देना।
- विवाह संबंध क्रमानुसार उपभोक्तारिक क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक प्रदान किया गया है। इस नीति को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा सकता है।

1.1.1.3. बेतन असमानता (Wage Disparities)

सुख़ियों में क्यों?

भारत में ऑनलाइन सेवा प्रदाता 'मॉन्स्टर' (Monster) द्वारा हाल ही में जारी वेतन सूचकांक रिपोर्ट (Salary Index Report) में बेतन वैश्विक अंतर पर प्रकाश डाला गया है।

![Image: The Hindu](Image)

रिपोर्ट के निकटता

- लैंगिक बेतन अंतराल 27% तक है।
- पुरुषों की औसत सकल प्रति पंपा 288.68 रुपये बेतन मिलता है जबकि महिलाओं के लिए यह बेतन करीब 207.85 रुपये है।
- वैश्विक विश्लेषण
  - विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक बेतन अंतराल सबसे गहरा (34.9%) है।
  - यह बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा, परिवहन, लॉजिस्टिक तथा संचार में सबसे कम (17.7%) है।
- आईटी सेवा क्षेत्र में 34% का एक बड़ा लैंगिक बेतन अंतराल है।
- बेतन में लैंगिक अंतर के पीछे कारण
  - महिला कर्मचारियों के बजाए पुरुष कर्मचारियों की तरह नहीं।
  - परिवेशक या प्राध्यापिक के पदों के लिए पुरुष कर्मचारियों की पदोप्रति।
  - मातृत्व कर्मचारियों और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यों की वजह से महिलाओं के करियर में रोकावरोध।
नम्य कार्य नीतियों या विस्तारित अवकाश का अभाव।

पुरुष प्रधान बाले क्षेत्रों में अवसरों की कमी - पुरुष प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अवैधिक कम है, उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित व्यवस्थाओं में।

- महिलाओं द्वारा किए गए देखभाल के कार्य को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जाता है क्योंकि इसे उनके व्यक्तिगत उपकरणों के साथ देखा जाता है।

- इसके अतिरिक्त महिलाओं को 'ग्लास मिलिंग इकेस्ट्र' का भी सामना करना पड़ता है, अर्थात् उन्हें एक ऐसी अवैधक बाधा का सामना करना पड़ता है जो उन्हें सामने उठने से रोक देती है।

अगे की राह:

- डिजिटल फ्लूएंसी, कैरिएर स्ट्रेटेजी और टेक इम्प्लेमेंट से महिलाओं के वैज्ञानिक-अंतर (PAY GAP) को कम करने में मदद कर सकते हैं।

- सशस्त्र बलों में युद्धक भूमिका या सामूहिक सौदे-बाजार संस्थान और सामूहिक सौदे-बाजार एवं न्यूनतम मजदूरी जैसी नीतियों की अनुपस्थिति में महिलाओं के अंतर को कम कर सकती हैं।

1.1.1.4. महिलाओं की युद्ध भूमिका (Women in Combat Role)

सहिष्णु व्यवस्थाओं में क्यों?

हाल ही में भारत ने घोषणा की है कि सेना के सभी भागों - भारत सेना, नौ सेना तथा आर्मी सेना में महिलाओं को युद्ध भूमिका में समर्पित होने की अनुमति दी गई है। विश्व के व्यावहारिक पुरुष वर्ग के विपरीत, महिलाओं के वैज्ञानिक समानता लाने हेतु यह एक क्रांतिकारी कदम होता है। ध्यान है कि अमेरिका, इंग्लैंड, खाली विद्वानण के इसी क्षेत्र में जहां महिलाओं को सशस्त्र बलों में समर्पित न किया जाता है, वह देशों में यह कार्य क्रांतिकारी रूप से ही समाप्त हुआ है। अतः महिलाओं को सशस्त्र बलों में युद्धक भूमिका प्रदान करने की भारतीय प्रक्रिया भी इसी वैदिक परम्पराओं के अनुसार है।

विषयों:

- सैन्यवाणिज्य में महिलाओं की सुरक्षा और परिकृत की सुनिश्चित करने से सम्बन्धित विषयों।

- वस्तुनिष्ठता के व्यावसायिक न्यायाधिकरण में महिलाओं की भूमिका के प्रसरण का क्रमध्ये विवेचना करने हेतु उल्लेख किया जाएगा।

- महिलाओं के शारीरिक और मानवस्तुति रूप से समस्याओं के सामने सामना करने में महिलाओं की शारीरिक और मानवस्तुतिक और सामाजिक समानता संबंधी विषय।

- व्यवस्था के स्तर पर केवल नागरिक अधिकारों के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार यथायोग्य रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए।

- भूमिका - यह उन्हें अपनी सेिाओं में संतुष्टि वमल सके। यह उन्हें कठिन मेहनत के लिए प्रेरित करेगा और अलोचकों को शांत करने में मदद करेगा।

आसनणय का औदय: यह संस्थान का विषय है कि सेना की संरचना 'देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने' के लिए हमींद्र उद्देश्य से प्रेरित होती है। इस दिशा के बाद महिलाओं को समानता के विषय से उन्की योग्यता की आवश्यकता होती है। इसीलिए रिसर्च पूर्व को उन्हें जस्तां सहज तक सीमित नहीं किया जा सकता।

- महिलाओं को सभी महिलाओं जैसे समानता के लिए ब्रांड वर्णन की आवश्यकता होती है। इसलिए रिसर्च पूर्व को आधी जस्तां समर्पित नहीं किया जा सकता।

- महिलाओं को समानता का रूप से उन्हें प्रेरित करने में पीछे की उपद्रव को हर्ष नहीं किया जा सकता। इस देश में युद्ध परिपथ वर्तमान में व्यावसायिक मौलिकता और गृह सूचनाओं के प्रयोग तथा गृह सूचनाओं का एक्सप्रेस निजी सामने आने के साथ ही साइबर दुरुस्ति में युद्ध लड़े जाते हैं। अतः व्यावहारिक रूप से इस प्रकार की हिस्सा या शर्त प्रयोग की आवश्यकता अब नहीं रह गई है।
तकनीकी विकास क्रम में सिम्युलेशन जैसी तकनीकों के आ जाने के कारण महिलाओं को पु्रातन के किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली संधायत जूनीतियों का समाना करने के लिए, मोड्यूलर ट्रेनिंग प्रदान की जा सकती है।

अंततः देश को अपनी सेवाएं सम्मिलित करने के इत्यादि जैसी व्यक्ति के लिए उसके वैश्विक पहचान वाधक नहीं होनी चाहिए। जो महिलाएं इन जूनीतियों से अवरोध हैं और फिर भी इन सेवाओं में सम्मिलित होंगे के लिए तैयार हैं उन्हें रोक नहीं जाना चाहिए।

आर्थिक राझ
• देश की मुद्दा से जुड़ी सभी विनाारों पर नियम रूप से विचार किया जाना चाहिए।
• इसलिए, सेवाओं में महिलाओं को सम्मिलित करने की समस्या अवधारणा पर एक नया और व्युत्पनक दंग से विचार किया जाना आवश्यक न के वेबल वैश्विक समानता के परिणाम में।
• पुष्प और महिला सैनिकों, दोनों के निरंतर और आधिकृत प्रदर्शन परीक्षण (पीरराइडिकल परफॉर्मस ऑफिट) के आधार पर ही महिलाओं का क्रमिक रूप से सेना में समंकल होना चाहिए।

### 1.1.1.5. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment at Workplace)

#### सुझावों में क्यों?

• हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नियंत्रण और निर्वाह) अधिनियम, 2013 के कार्योन्मण पर एक समीक्षा बैठक अयोजित की गयी।
• इस दौरान यह परिलक्षित हुआ कि इस अधिनियम को लागू करने के तरीके एवं कार्यवान्य पर नतीजे के मामले में कई कमियाँ थी।
• इस अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 में दिए गये निर्देश (जिसे विधाया गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है) को शामिल किया गया है। इस निर्देश में निर्णय द्वारा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों को तय करने की आवश्यकता को प्रदर्शित किया गया है।

#### कार्यान्वयन के सुझाव

• 70% महिलाएं अपने विशेष अधिकारियों द्वारा किये गए यौन उत्पीड़न की रिपोर्टें नकारात्मक प्रतिक्रिया के भय से दर्ज नहीं करती हैं।
• 2015 में दिए गए एक शोध के अनुसार, 36% भारतीय कंपनियों और 25% व्यवसायीय कंपनियों द्वारा अभी तक आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee: ICC) का गठन नहीं किया गया है, जबकि अधिनियम के अंतर्गत इस समिति का गठन अनिवार्य है।
• अदालत में लंबे समय तक मामलों के लंबी रहने के कारण पीड़ित की समस्याओं में बृद्धि होती है।
• आंतरिक निर्णय में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कर्म स्थल पर अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी कौन होगा।

#### बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित कदम

• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के एक विशेष अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति की स्थापना की जाएगी।
• यह समिति यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान की प्रामाण्य की समीक्षा तथा एक मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेगी।
• समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी मंत्रालयों/विभागों की अंतरराष्ट्रीय शिकायत समिति (Internal Complaints Committee: ICC) के मुख्यों की शिकायतों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए।
• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस अधिनियम के तहत सकार की किसी भी महिला कर्मचारी की शिकायत दर्ज करने के लिए एक सुनिश्चित इलेक्ट्रॉनिक मंच की स्थापना की जाएगी।
यह अधिनियम के तहत एक पारदर्शी और अनुच्छेद योग्य शिकायत निवारण तंत्र को सक्षम बनाएगा।

प्राम शिकायतों, उनके निपटान तथा नविन मामलों एवं कार्यवाहियों की संख्या पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मान्यता देना।

यह भी निर्देशित निर्देशित एक महिला अधिकारी के अधिकारों और ICC की जिम्मेदारियों के विषय में मंत्रालयों/विभागों/संगठन वालियों की वेबसाइट में महिला विभागीय तरीकों के माध्यम से पत्रपांच प्रकाश किया जाना चाहिए।

यौन उत्सर्जन अधिनियम के प्रावधान

यह अधिनियम सभी आयु वर्ग और रोजगार स्तर से सम्युदित महिलाओं को शामिल करते हुए ‘पीड़ित महिला’ की परिभाषा को विस्तृत रूप से व्याख्यानित कराता है। इसके अंतर्गत कानून, भाषक तथा परंपरागत कामयाबी की भी शामिल किया गया है।

इसमें ‘पेर्सन’ के अर्थ को मिलाकर है पारंपरिक कार्यवाही के साथ अन्य सभी प्रकार के संगठनों को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत यह मैं-पर्याप्त कार्यवाही (उदाहरण के लिए दूरसंचार के क्षेत्र में शामिल) और कर्मचारियों द्वारा कार्य के लिए दोष खिले से कार्यवाही को भी शामिल करता है।

यह ‘अंतरराष्ट्रीय शिकायत समिति’ (ICC) के गठन को अनिवार्य बनाता है तथा किसी संगठन द्वारा ICC का गठन नहीं खिले जाने पर उचित कार्यवाही का प्रावधान भी करता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष की समास पर पूरे वर्ष के दौरान ग्राहकों की गई शिकायतों की संख्या और कार्यवाही की संख्या की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

इस अधिनियम द्वारा निविदायक के कर्तव्यों की सूची भी जारी की गई है, जैसे अधिनियम के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियुक्त कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।

यदि निविदायक ICC का गठन करने में विफल रहता है या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का पालन नहीं करता है, तो उन्हें 50,000 रुपये का जुमा देना होगा।

1.1.2. महिलाओं के प्रति भेदभाव

[Discrimination Against Women]

भारत ने विश्व अर्थक मंच (WEF) द्वारा जारी लेविल्ड जेंडर गैप इंडेक्स में अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार करते हुए 87वां स्थान प्राप्त किया। गत वर्ष इस स्थान को भारत 108वें पर रखा था।

भारत ने जेंडर गैप (लैंग्विक अन्तराल) को 2% तक कम किया गया है। इंडेक्स हेतु नियमित चारों मानकों के अनुसार अब यह गैप 68 फीसदी है।
1.1.2.1. बाल लिंगनुपात (CSR) की घटनी दर (Declining CSR)

2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगनुपात (csr) में गिरावट दर्ज की गई है। 2001 में प्रति 1000 बालकों की तुलना में बालिकाओं के संख्या 927 थी जो 2011 में केवल 918 बालिकाओं ही रह गयी हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण उल्लिखित हैं:

• लिंग चयन (Sex selection): यह भारत में जनसंख्या वृद्ध को वनयंवत्रत करने के लिए एक उपाय के रूप में अपनाया गया था।
• कन्या भ्रूण हत्या (Female foeticides): विगत 25 वर्षों में जन्म से पहले भ्रूण के अंतराल को पूरी तरह से समाप्त कर वलया गया है।

लेकिन इन घटनाओं के होते हुए भी इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में कमी नहीं हुई रही है।

• सूचना अद्यावधि के लिए जारी किया- जिन न्यायालयों के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित अपराधों का रोकथाम के लिए कई दिशा-निदेश जारी किए गए हैं।
• आपत्ति और प्रतिशोध: दूसरे हरियाणा और पंजाब, लद्दा और बिहार के मध्यम व उपमध्यम स्तर के न्यायाधीशों के द्वारा योजना का निर्माण किया जाएगा ताकि दूर दर्शन बालकों और बालिकाओं के नेतृत्व में जानकारी के लिए लगभग 3,000 मामले दर्शका किए गए हैं।
• आपत्ति और प्रतिशोध: दूसरे हरियाणा और पंजाब, लद्दा और बिहार के मध्यम व उपमध्यम स्तर के न्यायाधीशों के द्वारा योजना का निर्माण किया जाएगा ताकि दूर दर्शन बालकों और बालिकाओं के नेतृत्व में जानकारी के लिए लगभग 3,000 मामले दर्शका किए गए हैं।
• पूर्व गंतव्य और प्रत्यक्ष पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिवेदित) अधिनियम, 1994 (Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994) (PCPNDT act) का सम्पूर्ण कार्यन्वयन।
• जागरूकता अभियान- अधिनियम के संबंधी जागरूकता अभियान शुरू किया गया।
• विभिन्न राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से बुद्धि वैज्ञानिक और वैज्ञानिक के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वालों को बच्चों को संस्कृति सम्बंधी कार्य किये जा रहे हैं तथा जन भूमि हृदय से समाज को होने वाले खतरों से लोगों का अभिव्यक्त कराया जा रहा है।
• प्रोत्साहन योजनाएं- जिन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बालिकाओं के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं है, उन्हें संबंधित योजनाएं लागू करने संबंधित निर्देश दिए गए हैं।

प्रथम पूर्व लिंग की जांच
संवैधानिक व्यवस्था ने हाल ही में सरकार को एक केंद्रीय एजेंसी के गठन का निर्देश दिया है जिसके द्वारा सर्व इंद्राणी एवं उन्हें निर्देश देते हुए अनलाइन प्रथम पूर्व लिंग जांच संबंधी विज्ञापनों पर निर्यात करने का निर्देश जारी करेगी।

बाल लिंग अपात्र में निराकरण की रोकथाम के लिए की गयी पहलें:
• बेटी बचाओं बेटी पढाओ योजना
• सुकृत्य समृद्धि योजना
• पूर्व गर्भधारण और प्रथम पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिपेध) अधिनियम, 1994
• आदंत्र प्रदेश सरकार की मंत्री चाहुंड गॉन्टेक्शन स्कीम (Girl Child Protection Scheme)
• हरियाणा सरकार द्वारा "आपकी बेटी, हमारी बेटी" योजना
• राजस्थान सरकार की आश्रय योजना
• तमिलनाडु सरकार की अंकुचार अभ्यास मेमोरियल कन्या संरक्षण योजना
• बिहार सरकार की मुख्य मंजी कन्या सुरक्षा योजना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
• आर्जनवादी केंद्रों में पहली तिमाही में गर्भधारण के पंजीकरण को बढ़ावा देना
• हितारों का प्रकाशन
• गर्भावस्था के दौरान में सम्बंधी कार्यक्रम
• हेल्थ के भागीदारी पर कार्यक्रम
• क्षेत्रों के माध्यम से अलाईन प्रतिकृतय ध्वनियों की संरचना

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण भाग
• पूर्व गर्भधारण और प्रथम पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिपेध) अधिनियम (1994) के चिकित्सालय का परीक्षण
• संस्थान में व्यवस्था विस्तार करना
• जन्म का पंजीकरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
• बालिकाओं का सांशोधित नामांकन
• स्कूल छोड़ने के दर को कम करना
• स्कूलों में कला के साथ अनुकूल व्यवहार का निर्देश
• शिक्षा के अधिकार (आरटीई) का सशिकार कार्यनिर्धार
• बालिकाओं के लिए कार्यान्वयन शीर्षक का प्राप्ति
ऐसी सूचना वमलने या संसूवचत होने के पश्चात् एजेंसी संबंधित सर्व इंजन को सूचित करेगी और सूचना प्राप्त करने के बाद सर्व इंजन इसे 36 घंटे के भीतर हटाने और नोडल एजेंसी को सूचित करने के लिए बाध्य है।

**बेटी बचाओं बेटी पढाओं**

लिंग अनुपात में तीव्र मिश्रित के कारण भारत सरकार ने 100 लिंग संविदानशील जिलों में CSR में मिश्रित को कम करने के उद्देश्य से "बेटी बचाओं बेटी पढाओं" (BBBP) कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का समय लक्ष्य है कि कन्याओं के जन्म के समय बुनियादियों मनाई जाए एवं उनको उचित शिक्षा प्रदान किया जाए।

योजना के दो प्रमुख घटक हैं:

- जन संचार अभियान एवं
- सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को शामिल करने हेतु उत्कृष्ट CSR बाले 100 चयनित जिलों (एक पायलट योजना के रूप में) में बेटी-बेटी कार्यवाही

**जन संचार अभियान**

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कन्याओं का जन्म, पोषण एवं शिक्षा जिना भर्ती के हो, जिससे इस देश की स्थापना नामांकन बन सके।
- यह इन 100 जिलों में सामुदायिक स्तर की कार्यवाही के साथ राज्य, राज्य और जिला स्तर पर एक फ़ैसला की एक शक्तिकरण करता है, ताकि त्वरित अभियान के लिए अलग-अलग जिलक्षा को एक साथ लाया जा सके।

**हरियाणा में किये गए सुधार:**

- पिछले 2 दशकों में पहली बार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 900 अंक से अधिक हुआ है। दिसंबर 2016 में एसआरबी 914 दर्ज किया गया था।
- एसआरबी प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या का उन्नयन करती है।
- जनगणना 2011 के अनुसार, राज्य औसत 943 की तुलना में इसका लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों पर 877 महिलाओं के लिए स्तर पर हुआ।
- इस राज्य में राज्य औसत की तुलना में सभी राज्यों में सबसे कम बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) दर्ज किया गया है।
- विभिन्न योजनाओं के अभियान और बेटी बचाओं बेटी पढाओं, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, आपत्ति बेटी हमारी बेटी योजना, हरियाणा कन्या कोष, गीता फोगल एवं विचित्र फोगल को बेलों में वेतन का नाम रोलन करने के लिए नीतियाँ जैसे कार्य किये गए हैं।
- जिसमें यह 100 जिलों में सामुदायिक स्तर पर राज्य, राज्य और जिला स्तर को जोड़ता है तथा त्वरित कार्यवाही हेतु विभिन्न भागीदारों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है।

**बेटी-बेटी हस्तक्षेप**:

- कन्याओं के अंतिम, संरक्षण और शिक्षा को सुनिश्चित हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कन्याक भर्ती (MoHFW) और मानव संसाधन मंत्रालय (MoHRD) के साथ समायोजन कर समन्वित एवं सममित प्रयास किए जा रहे हैं।
- जिला स्तर पर BBBP के प्रशिक्षन के लिए जिला कोलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर (डीजी) सभी विभागों के कार्यों को समन्वित कर मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं।
अगे की राह

- कलाकारों, अधिकारियों और अभियांत्रिकी के बीच होने वाले साझेदारी को समाप्त करने के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय की आवश्यकता है।
- बालिकाओं की शिक्षा तथा बालकों के साथ समानता के प्रोत्साहन में उद्ध लिंग अनुपात के बढ़ते को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

1.1.2.2. मातृ/ नवजात स्वास्थ्य (Maternal/Neo-Natal Health)

मातृ स्वास्थ्य पर प्रकाशित नवीनतम लैंसेट बुंदला में लिखा जाता है कि दुनिया भर में अब भी काफी समय और समाज तक समृद्ध नहीं बन सकता जब तक कि उसकी आधी आबादी के साथ भेदभाव व्याप्त नहीं है।

- डॉक्टरों, अनुसंधान चिकित्सकों और अंतर-राज्यीय समन्वय की आवश्यकता है।

भारत में मातृ मृत्यु

- भारत में गर्भवत्स्था या प्रसव के दौरान 45,000 महिलाओं (15 प्रतिशत) के मृत्यु हो जाती है जबकि नागरिक भारत में मातृ मृत्यु की यह संख्या 58,000 (19 प्रतिशत) है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार भारत का MMR, 1990 में 560 से कम होकर 2010-2012 में 178 हो गया।
- हालांकि, MDG के अनुसार भारत को इसे कम करने के लिए 103 के स्तर पर लाने की आवश्यकता है।

भारत में उद्ध मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate: MMR) के कारण

- संस्थागत प्रसव: NFHS III के अनुसार 2005-06 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संस्था प्रसव की दर क्रमशः 28.9% और 67.5% थी।
- महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल न देना: संस्थागत प्रसव के निचले दर 2005-06 में अंतर-राज्यीय स्तर पर भी थी।
- प्रसव के बाद देखभाल की अवधारणा है।
- किशोर मर्मात्मा और मृत्यु का खतरा:
  - 15-19 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को प्रसव के कारण मृत्यु होने की संभावना, 20 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग की महिलाओं की मृत्यु की संभावना दोगुनी होती है; जबकि 15 वर्ष के उम्र की महिलाओं में यह संभावना पांच गुनी होती है।
- महिलाओं ने अधिक अधिक अभियांत्रिकी और मृत्यु का खतरा है।
- महिलाओं को निर्यात करने के शक्ति का बचाव: परिवार के भीतर निर्यात वेदना की शक्ति महिलाओं को नहीं दी जाती।

लागत: प्रत्येक भीतर ही परिवहन, दवाओं और आपूर्तियों की लागत (सरीजी)।

स्वास्थ्य सेवाओं की स्वीकृति के बारे में जागरूकता का अभाव (स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी।)

लागत: प्रत्येक भीतर ही परिवहन, दवाओं और आपूर्तियों की लागत (सरीजी)।

स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा बच्चों उपचार सेवाओं की खराब गुणवत्ता भी कुछ महिलाओं को सेवाओं का उपयोग करने के लिए अनुभव कर दिया है।
समाधान

- प्राथमिक स्तर पर एक बेहतर, जवाबदेह स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आवश्यकता है ताकि बाह्य दर्द को कम किया जा सके।
- महिलाओं को नजरिये के तहत प्रमाण पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए अस्पतालों को एक आपकथानीय परीक्षण और अच्छी रफ्तार प्रणाली के नेटवर्क से जोड़ने की जरूरत है।
- कुलम परिचय, नमों या डॉक्टरों द्वारा प्रसव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- विशेष रूप से माता मुंह के प्रमुख कारणों की ओर निर्देशित परिषद / ग्राम स्तर के इस्तेमाल की आवश्यकता है।

जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना (JSY) का शुभारम्भ संस्थागत प्रसव (अस्पतालों में प्रसव) को प्रोत्साहन प्रदान कर मातृ और उजात स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, राष्ट्रीय प्रामाण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के एक भाग के रूप में वर्ष 2005 में किया गया था।
- जननी सुरक्षा योजना (JSY) एक 100% केन्द्र प्रायोजित योजना है एवं इसमें प्रसव के दौरान प्रसवोपयोगी देखभाल के लिए नकद सहायता समाविष्ट होती है।
- इसे योजना के अंतर्गत सरकार और गरीब गरीबी महिलाओं के बीच प्रभावी कार्य के रूप में कार्य करने वाली आशा (ASHA) अधीन मान्यता-प्रामाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत अस्पतालों में प्रसव का चयन करने वाली गरीबी महिलाओं और उन्हें ऐसा निर्धार देने के लिए पेट्रिट करते वाले कार्यकर्ता को नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रामाणित क्षेत्रों में महिला को 1400 रुपये और आशा कार्यकर्ता को 600 रुपये और कड़ी क्षेत्र में क्रमशः 1,000 रुपये और 200 रुपये प्राप्त होते हैं।
- यह सामाजिक-आर्थिक असामान्यताओं को कम करने के लिए किस प्रकार सहायता करता है?

- संक्षेप रूप से, इन दोनों दौर के बीच निर्युक्त या कृतित और निर्धार महिलाओं के बीच तीन मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं (जैसे पूर्व प्रसव, प्रसव, प्रसव के बाद देखभाल) का उपयोग उल्लेखनीय रूप से उल्लम्ब होता है।
- दूसरा, संक्षेपों के बीच अन्य बिल्ड़र्ड वर्ग, वनायु, आवासियों और उस्मान महिलाओं द्वारा तीन मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का उपयोग बढ़ा।
- सामाजिक नियम: इस संदर्भ में कम शिक्षा और अधिक खिलित महिलाओं के बीच एवं निर्धार और संपन्न महिलाओं के बीच अंतराल में कमी आयी है।

राष्ट्रीय अध्ययन

- राष्ट्रीय नमूना संबंध (NSSO) के आंकों के 60 वें और 71 वें दौर के विवरण द्वारा प्राप्त से पता चलता है कि इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के प्रसव में 22% की वृद्धि हुई है।

अध्ययन से ज्ञात है कि भारतीय महिलाओं में प्रजनन दर में तेजी से वर्धित हुई है (वर्ष 2004 में यह 2.88 प्रति महिला थी जबकि 2014 में यह चटकर 2.4 हो गई है।)

अन्य पहेली

PMSMA यह है महिलों की 9 तारीख को सभी गरीबी महिलाओं को सार्वभौमिक तौर पर सुनिश्चित, व्यापक एवं उच्च गुणवत्तापूर्व प्रसव पूर्व देखभाल महिला कराएगा।

MAA- Mothers Absolute Affection यह स्तनपान के प्रोत्साहन तथा स्तनपान का समावेश करने के लिए परामर्श सेवाओं के प्राप्तवर्ती को बढ़ावा देता है।
आस काययक्रम के मुख्य घटक, सामुदावयक जागरूकता, अशा (ASHA) के माध्यम से संचार को मजबूत बनाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार केन्द्रों में स्तनपान के लिए प्रशिक्षित सहायता, नियंत्रण करना, पुरस्कार आदि हैं।

स्तनपान से मां और बच्चे के बीच एक खास रिश्ता बन जाता है और स्तनपान के दौरान हुई पारस्परिक किया का जीवन में व्यवहार, बातचीत, सबके कल्याण का बोध, सुरक्षा और फैले बच्चा अन्य लोगों से सम्बन्ध होता है अतः मामलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

बच्चे के जन्म के एक घंटे के भीतर और ईस्के बाद विशेष रूप से पहले छह महीनों के लिए स्तनपान, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

### 1.1.2.3. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेसी (संशोधन) विधेयक, 2014

(Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2014)

#### सुझावों में क्यों?

- फरवरी 2017 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डाउन सिंड्रोम रोग से प्रभावित बच्चे अपने बूढ़े के समाप्ति के संबंध में एक महिला के तक की अस्वीकार कर दिया। इस रूपरेखा मुंडे ने अपने शरीर पर गृह गर्भ की समस्या के चलते संक्रमण के अधिकार के विषय में व्यापक अवश्यकता है।

- गर्भवती महिला, बूढ़े के खिलाफ असमानाधिकार का पता लगाने के लिए केवल अपनी गर्भवत्स्था के 18 सप्ताह के बाद चिकित्सा परीक्षण से गुजर सकती हैं। इसके लिए, इस प्रक्रिया की रिपोर्ट देने में ही 2-3 सप्ताह लग सकते हैं; इस बीच, गर्भवती महिलाएं गर्भपति का चयन करने हेतु अनुमति प्रदान कर सकती हैं।

- चिकित्सा पेशेवरों की राय है कि 26 मिलियन नवीन बूढ़ों में से लगभग 2-3 प्रतिशत बूढ़ों में 20 सप्ताह की अवधि के बाद भी असमानाधिकार पता लगाकर इन्हें अपनी वापसी से छुटकारा दिया जा सकता है।

- अधिनियम की कार्रवाई एवं उस मुंडे से संबंधित सामाजिक लांच्छ से असमान पहलुओं (विवाह पूर्व गर्भ, गर्भपति में अभाव जटिलता इत्यादि) के कारण, भारत में अभियांत्रिक लगभग 10 महिलाओं की गर्भवत्स्था संबंधित जटिलताओं के कारण मृत्यु हो जाती है।

- इसके अतिरिक्त, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेसी (संशोधन) अधिनियम, 1971 प्राप्त हेतु संस्थान सेवाओं के कारण उद्योग के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में खिरोग विशेषज्ञों का अथवाधिकार अभाव है। यह स्थिति गर्भवती महिलाओं को गर्भपति की महंगी और असुरक्षित विवधयों का चयन करने के लिए विवश करती है।

#### मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेसी (संशोधन) विधेयक 2014 का महत्व

- MTP या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेसी (संशोधन) विधेयक, 2014 का प्रयोजन गर्भपति के लिए कानूनी दीवार का वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़कर 24 सप्ताह करना है और यह 12 सप्ताह की समयावधि तक मांग किए जाने पर गर्भपति (एबॉशन-ऑन-डिमांड) की अनुमति भी प्रदान करेगा।
पूर्ववर्ती अधिनियम (MTP 1971) जनसंख्या नियंत्रण एवं गर्भावस्था संबंधी उद्ध मृत्यु दर को रोकने के उद्देश्य से निर्देशित था; जबकि, संशोधित नया कानून गर्भापति का बिकल्प चुनने की समय सीमा को बढ़ाकर महिला के बचन एवं अपने शरीर पर उसके
स्वयं के अधिकार को ध्यान में रखना।

प्रत्याविदित विधेयक भ्रूण के समाप्ति के लिए "भ्रूण-संबंधी असामान्यताओं" के संबंध में विवेचन आदारों को समवेदना कर पूर्ववर्ती अधिनियम के कुछ बड़े ठिकानों का संशोधन करेगा।

इसके अतिरिक्त, संशोधित विधेयक भ्रूण में 20 साल की समय सीमा के बाद कोई असामान्यता पाए जाने के मामले में न्यायपालिका की भूमिका में कटौती करना एवं स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए अधिकृत करेगा।

इसके अतिरिक्त, प्रत्याविदित विधेयक ने चिकित्सकीय एवं शाय विवेचनों में विवेचन करने के "संशोधन और प्रेग्नेंसी के लिए" का संशोधन किया है। इस महिलाओं को गर्भपात संबंधी औषधियों का उपयोग करने एवं उन्हें प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगा।

आगे की राह

प्रत्याविदित संशोधन में, सभी हितिधारकों से अनिवार्य से परामर्श किया जाना चाहिए ताकि लिंग चयनकारक गर्भपात एवं कानून की कठोरता के आधार से मृत्यु दर को कम करना सके।

1971 में मेडिकल टर्खमेसन और प्रेग्नेंसी अधिनियम पारंपरिक होने के बाद, सामाजिक एवं चिकित्सकीय परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए हैं, इसलिए, इस पहलू को नियंत्रित करने वाला कानून वर्तमान संदर्भ में चिकित्सकीय एवं सामाजिक धाराविविधताओं को अनिवार्य से संबंधित करने वाला नया हो गया।

अब तक, गर्भपात को परिचारक, राज्य, गृहविविधियों के मामले एवं लैंवगकता से अनेक परिवर्तन हुए हैं जिन्हें एक मुसलमान न्याय और अनेक परिवर्तन हुए हैं जिन्हें एक मुसलमान न्याय और अनेक परिवर्तन हुए हैं जिन्हें एक मुसलमान न्याय और अनेक परिवर्तन हुए हैं।

1.1.2.4. परसमल लों और लैंवगक न्याय

(Personal Laws and Gender Justice)

सुझावों में क्यों?

• उद्देश्य मानवालय के घंटे ने मुसलम सर्वसाधारण लोगों के लिए "तलाक-ए-बिदश" (द्वितीय तलाक), "निकाह हमला" और बड़ी वटियों की प्रक्रियाओं के अवधि एवं अनावश्यक ठहराने की, परिवर्तन बंगाल की एक मुसलम महिला की तेर्जिया सुनी।

• उद्देश्य मानवालय के घंटे ने महिलाओं के बाल विविध और अनेक मामलों के स्वास्थ्य प्रभावित करने वाला कानून वर्तमान संदर्भ में चिकित्सकीय एवं सामाजिक बांटविविधताओं को अनिवार्य रूप से संबंधित करने वाला नया हो गया।

मुसलम सर्वसाधारण लोगों का स्रोत मुसलम सर्वसाधारण लोगों (शारियत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 है।

यह भारत के मुसलमानों पर "शारियत" कानून को लागू करने का प्रयास करता है। हालांकि, शारियत के एक सर्वसाधारण परिवर्तन के अभाव में, एक ही मुद्दे पर परस्पर विरोधी पद्धति जारी करने वाले मौलवियों और विद्वानों के सम्मेलन की स्थिति उल्लिखित है।

अनुच्छेद 44- राज्य, भारत के समस्त राज्यों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संस्था प्राप्त करने का प्रायोग करेगा।

परिचय-

• भारत में परसमल लोगों का एक कलम है जो जीवन के बिविध पहलूओं से परिचारक, विवाह, तलाक, उन्नतिकार और अन्य प्रश्नों का परिचय करता है। भारत में निवासियों की बढ़ती दर के कारण, अन्य समस्त मामलों के विनियम समय एवं कानूनों को विनियम विवाह के आधार पर नियंत्रित करने के लिए छोड़ दिया गया था।
• सामाजिक रूप से महिलाओं की कमजोर स्थिति के कारण विविध पर्यावरण लोग द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और उन्हें कमजोर स्थिति में ही छोड़ दिया गया है।

• व्यक्ति के जीवन के निजी पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों में एक धर्म व्यवस्थित करने के लिए भारतीय संविधान में DPSPs के तहत एक समान नागरिक संहिता (अनुसंधान 44) का प्रावधान किया गया है।

विभिन्न धर्मों में अन्यायपूर्ण कार्य

• लेखिक रूप की वहम में मुस्लिम समुदाय को ही केंद्र में रखा जाता है और हिंदू (और अन्य) कानूनों को समतावादी, एकसमान और नैतिक रूप से नियंत्रण कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि यह समस्या किसी एक धर्म की विशेषता नहीं है बल्कि यह सभी धर्मों में कमश्वेत किसी न किसी रूप में विद्यमान है।

• मुस्लिम पत्नियों को तीन पहलुओं की बैठक के बिना अदालत प्रस्तुत किया गया है:
  - बहुविधा - मुस्लिम पुरुषों में सायवधक प्रचलित है।
  - तीन तलाक - मुस्लिम महिलाओं को तलाक लेने का समान अधिकार नहीं है। तलाक लेने के लिए उन्हें दारुल किज़ा जाना पड़ता है और अपने पति के लिए दारुल किज़ा जाना पड़ता है। यह सभी धर्मों में कमश्वेत किसी न किसी रूप में विद्यमान है।
  - वन्द्वस्था - एक ऐसा कानून है जिसके तहत यदि कोई महिला अपने पूर्व पति से विवाह करने की इच्छा रखती है तो उसे अपने पति और व्यक्ति के साथ एक विचार कराना पड़ता है।

हिंदुओं की ऐसी कई मान्यताओं एवं रीतियों पर असम प्रश्न उठाए जाते रहे हैं जो महिलाओं की स्थिति को कमजोर कर सकती हैं:-

• देव्य- शादी के समय, दुल्हन या उसके मुताबिक बच्चों को दिया जाना धन या संपत्ति।

• संपत्ति अधिकार- धारण ही है, जबकि उद्य न्यायालय ने तथ्यांक के शिकार के रूप में बच्चों को संपत्ति करने को इच्छा रखती है तो उसे अपने पति और व्यक्ति के साथ एक विचार कराना पड़ता है।

• विविधता- एक हिंदू व्यक्ति की दूसरी पत्नी अपने अधिकारों में विविधता है और उसकी स्थिति “पत्नी” के रूप में भी नहीं रह जाती है।

एक समाधान के रूप में UCC:

• अनुसंधान 44 के अनुसार, एक समान सम्बन्धित संहिता को इस सभी समस्याओं के लिए एक समाधान उपलब्ध है।

• एक समान नागरिक संहिता एक व्यक्ति की जिंदगी के निजी पहलुओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों और नियमों की एक सुव्यवस्थित नियमावली हो सकती है।

• अर्थव्यवस्था की जाति है कि व्यवस्था मामलों में निपटने के लिए यह नागरिक प्रक्रियाओं की एक स्थिर व्यवस्था प्रदान करेगा जो एक समान होगी एवं नैतिक रूप से नियंत्रण तथा न्यायपूर्ण होगी।

• सभी हिंदुओं को साथ लेकर है, कानून पर अक्सर ही तहत सभी पहलुओं के लिए बिचार-बिचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हाल ही में विविधताओं की अपराधों के लिए UCC पर एक प्रश्नात्मक जारी किए गए।

• भारत जैसे विविधता-समुदाय देश जहाँ सामाजिक और धार्मिक प्रक्रियाएं न केवल अलग-अलग होती हैं अपने दूसरे के विपरीत भी हो सकती हैं। ऐसे में इस समस्या के समाधान हेतु व्यक्तिगत बहुलतावाद का आयुर्वेद लिया जा सकता है। धार्मिक बहुलतावाद कानून के वित्तीय बीतों के बिच चुरा देता है ताकी मानवाधिकारों के आधार सामूहिक सांस्कृतिक सामान्य वाद को समायोजित किया जा सके।

• गोवा की तरह, धर्म या जातीयता में असर पूरे देश के लिए एक एकीकृत कानूनी संरचना की गारंटी UCC दे सकता है।

UCC की सीमाएँ:

• समान नागरिक संहिता के लूप-सिंग के अंतर्गत इस संविधान व्यवस्था में एक विविधता पर हर जगह अतिकृत उत्जननपूर्ण बहस देखने को मिल रही है जिसमें जनता में केवल असमान और असहिष्णुता जैसे अवधारणाओं का ही संचार हो सकता है।
UCC को लेकर आम तौर पर एक अस्पष्ट अवधारणा व्याख्या है कि यह लैंगिक रूप से न्यायमंगल कानूनों को अनिवार्यत: लागू करेगा, जो इससे संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत के सूत्र उद्देश्य से काफी दूर है।

• देश की विविधता को देखते हुए, एक समान नागरिक सहिता समाधान के बजाय एक बड़ी समस्या भी हो सकती है। जहां मौलिक अधिकार सभी को समानता प्रदान करने हैं तथा उसी के संरक्षण के तहत वे अपने धर्म और धार्मिक धार्मिक प्रथाओं का प्रचार करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं वहां ऐसा कोई भी कदम, जो उनके प्राथमिक कानूनों का उपयोग करने के अधिकार को प्रभावित करता है, अन्यथा नियम जा सकता है।

• जब समस्या एक अन्यायपूर्ण कानून हो तो समाधान हेतु एक ही ढांचा लागू नही होगा, जिसमें सभी व्यक्तित्व कानूनों को समायोजित किया गया हो, विनिमय ऐसे कानूनों को सुधारने की अनिश्चयता है जो महिलाओं के विरुद्ध पूर्वरूपी और पश्चात्तरूपी हो।

अपनी राह

• हमारे सभी कानून लैंगिक अधार पर अन्यायपूर्ण नहीं हैं। उनमें लैंगिक अन्याय के विशिष्ट स्वरूप निहित है जो प्रत्येक कानून को उसकी विविधता के अनुरूप संबंधित किया जाना चाहिए।

• हालांकि, लैंगिक न्याय किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होता चाहिए और इसे व्यापक अधार दिलाना चाहिए।

• हमारा संविधान इस स्वतंत्र भारत के प्रति किसी भी धर्म के प्रति किसी भी संस्कार के संबंध तत्त्वों को अनुयायित करने के अधिकार को प्रभावित करता है।

• भारत एक ध्यानिनर्देश राष्ट्र है। ध्यानिनर्देश एक स्वतंत्र किसी एक कानून अथवा प्रचलित अन्यायकारिक एवं प्रचलित अवधकार की अनुपलब्धता के मुताबिक संबंध लागू करता है।

• भारत जैसे विविधता पूर्ण देश में, UCC का लागू करना एक चुनौती हो सकता है और सहमति बनाने और दावों के लिए प्रक्रिया की अनुपलब्धता के बावजूद समाधान हेतु एक ही ढांचा लागू नही होगा।

1.1.2.5. सरोगेसी

(Surrogacy)

सुविधाओं में क्यों?

• कंपनी मैंनेंचेक ने व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिवेद प्राप्त और केवल बांसं वंशीय प्रतिकारों को ही सरोगेट मां द्वारा बच्चा प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने वाले विविधाता को प्रस्तुत करने की तंत्र देनी है।

• सरोगेट मां के शौच, सरोगेसी में पैदा हुए बच्चों का परिवार और माता पिता और वृत्ति का आयात करने वाले विविधाता ने रेकेट संबंधित पदार्थों में वृद्धि हुई है।

संबंधित मुद्दे

• सरोगेट मां का विविधता रूप में यथा स्वास्थ्य, वित्तीय और प्रशासनिक देखभाल आदि के मामलों में शोषण होता रहा है। कई ऐसे उदाहरण भी सामने आये हैं जहां गर्भवती के दौरान उन्नत हुई जिद्दियां और उच्चतम प्रशासन-पदार्थ देखभाल की अनुपलब्धता के कारण सरोगेट मां की मृत्यु हो गई है।

• दूषण संबंधित - निर्धारण सरोगेट मां और बच्चे के इलेक्ट्रॉनिक माता-पिता के बीच किये जाने वाले अनुबंध में प्राय: सभी चिकित्सकीय, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक जोखिम सरोगेट मां के हिस्से में आते हैं जबकि वंदु के इलेक्ट्रॉनिक माता-पिता को बाहर दावों में मुक्त रखा जाता है।
• सरोगेट का आवश्यकता - भारतीय उद्योग परिषद (CII) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के सरोगेट मातृत्व उद्योग का आकार प्रतिवर्ष लगभग 2.3 अरब डॉलर का है।

• सरोगेट शिशुओं का लाभ - विकासात्मक से प्रभावित जन्मे बच्चे या जुड़िां बच्चा पैदा होने की स्थिति में एक बच्चे को इस्तेमाल करने का प्रयास द्वारा लाभ दिया जाने के मामले सामने आए हैं।

• कुछ देशों में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरोगेट से बच्चे प्राप्त किए जाते हैं। बच्चों के लिए उपलब्ध शिशु कानूनी पंच में फंस गए हैं क्योंकि उन्हें नागरिकता / कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

नैतिक पंजीकृति विवरण:
• कुछ लोग इसे नैतिक कठिनाई के रूप में मानते हैं जो महिलाएं, सरोगेट मां की सेवाएं लेती हैं उनके ऊपर से यह बांधपन के "अभिव्यक्ति" को हटाता है।

• जबकि अंग्रेजी का मानना है कि सरोगेट की व्यवस्था प्रदान की वैधिक अवधारणा को समाप्त करती है।अभिभावकत्व (parenthood) को आंतरराष्ट्रीय, गर्भधारण (gestational) और सामाजिक अर्थ-अर्थ रूप में वर्गीकृत करता है।

• बच्चों के जन्म देने के उद्देश्य में परिवर्तन, अर्थात बच्चों को अपने लिए नहीं जन्म देने वह बच्चे की क्षमता के लाभ के लिए जन्म देना।

प्रस्तावित विधेयक के प्रावधान:
• अन्वेषन भारतीय या भारतीय मूल के कार्यालयों को भारत में सरोगेट मां की मदद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

• दायरे से बाहर: एकता पुरुष बहिष्कार, विभक्तिवादी जोड़ी जो विवाह नहीं करना चाहते, समावेशित जोड़े, ट्रांसजेंडर व्यवसाय तथा एकल अभिभावक सरोगेसी के जरूरत स्वाभाविक प्राप्त देने के लिए बच्चे प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

• कानूनी तौर पर विवाहीत भारतीय जोड़ी को विवाह के प्राप्त अवधारणा सरोगेट बच्चे हो सकता है लेकिन इसके लिए उनके बांधपन के प्रमाण के रूप में एक चिकित्सा प्रमाण विषय की आवश्यकता होगी।

• विधेयक सरोगेमां के विवाहीत होने और व्यवसाय नहीं करने वाले जोड़ी की करीबी रिश्तेदार होने को अवधारणा बनाता है। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि मां ने सरोगेमां को जन्म देने के पूर्व में एक स्वस्थ बच्चे की जन्म दिखाने होगी।

• एक और तब एक सरोगेट बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी जाती है।

• कानून का विचार तब जतने पर 10 वर्ष का कारावास या 10 लाख रुपये का जुर्माने की सजा हो सकती है।

• स्वास्थ्य मंत्री की अनुमति में कार्यक्रम की निगरानी करने हेतु एक राज्यीय सरोगेमां की बौद्धिक बनाया जाएगा।

• सरोगेमां और सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों के अधिकारियों की रक्षा की जाएगी।

प्रकृति:
• महिलाओं का शोषण रोकना, विवशीष्ट रूप से उन गरीब महिलाओं का जिन्हें अपने परिवार के लाभ चाहने के लिए सरोगेमा व रोकने के लिए मजबूत बनाया गया।

• यह नैतिक नामकरण के लिए बर-बर सरोगेट विवशीष्ट में महिलाओं की रक्षा करता है।

• एक बच्चे को जन्म देने में किसी भी मां के स्वजन्य और यहां तक कि जीवन के लिए एक जंतु बना रहता है, क्योंकि ज्ञानवान प्राप्त मीडियाशियन सेंसेबलता से होता है।

• सरोगेमां अधिकारियों और अन्य महिलाओं की तरफ से व्यवसाय अनुपात: गर्भवती या अन पार महिलाओं होती हैं जिन्हें अपने विवाह के अधिकारों की बढ़त समझ होती है।
सरोगेसी पर विषय आयोग की 228वीं रिपोर्ट

- इसमें वाणिज्यिक सरोगेसी के विरुद्ध अनुशंसाएं की हैं।
- इसके तहत डोनर की गौरवनीति के साथ-साथ सरोगेट मां को भी संरक्षित किया जाना चाहिए।
- लिख-बातचीत सरोगेसी निषिद्ध होनी चाहिए।
- मेडिकल ट्रस्टेशन ऑफ इन्श्योरेंस एक्ट, 1971 द्वारा ही केवल गर्भपात के मामले शामिल होने चाहिए।
- सरोगेट बच्चे के इंडिभेक्त प्रेग्नेंसी में से एक डोनर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ फ्यूट और नेत्र का बंधन मुख्त रूप से जैविक संबंधों से उत्पन्न होता है।
- कानून का स्वयं गौरव होना या यहाँ तक कि अभिमान द्वारा पूरण के बिना सरोगेट बच्चे को वैध बद्ध के रूप में मान्यता देनी चाहिए।

विषय

- वाणिज्यिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध सरोगेसी उद्योग के गैरकानूनी प्रचलन को प्रेरित करता और सरोगेट मां को अधिक कमजोर बनाएगा।
- प्रस्तावित सरोगेसी विधेयक में प्रारंभित फ्रूम (frozen embryos) पर कोई विचार नहीं किया गया है।
- यह आर्थिक सामाजिक वास्तविकता का ध्यान नहीं रखता है जहां एकल व्यक्ति, समलैंगिक या लिब-इन जोड़ों की सरोगेसी मां के माध्यम से बच्चा प्राप्त करने की इच्छा हो।
- यह सरोगेसी के विरोध में शारीरिक गर्भ महिलाओं को आमान्त्रित सामाजिक मामलों का समाधान नहीं करता।
- परोसार में बच्चों के साथ इस सरोगेसी के लिए ज्वरण विवाद करने की सम्भावनाएं बढ़ सकती हैं।

आयोग के राह

वर्तमान में सरोगेसी का आवश्यकता कई बार देखा गया है। इसलिए सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से पूर्व, सरोगेसी के व्यवसायीकरण को समाप्त करने हेतु सख्त नियमों के साथ इस सुझाव में निर्माण हेतु अधिक संरक्षणात्मक ही नहीं।

1.1.3. महिलाओं के विरुद्ध अपराध (Crimes Against Women)

नेशनल क्राइम्स रिपोर्ट (NCRB) के तत्त्वात्मक ओफिसर्स के अनुसार विवाद दस वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध विदेशों में महिलाओं का विरुद्ध होने वाले अपराधों में दोगुने से भी ज्यादा हुआ है। इसलिए महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के साथ दुराचार करने का प्रयास करना, पति और रिश्तेदारों के द्वारा दुराचार, दुराचार तथा अपहरण करने के उद्देश्य से महिलाओं पर हमला करने, उल्लेखनीय है कि 95 फीसदी मामलों में अपराधी पीड़ित व्यक्ति का परिचित ही होता है। खास प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध सबसे अधिक अपराध (263,839) की शिकायतें दर्ज की गईं हैं।

लांग 2015 में 2014 की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में कमी देखी गई है तथा बलात्कार के मामलों में 5.7 फीसदी की कमी दर्ज की गयी। परन्तु अभी भी स्थिति गंभीर है:-

- महिलाओं के खिलाफ अन्य यौन अपराधों में 2.5 फीसदी की वृद्धि हुई है। यौन उत्पीड़न, रवांदनित (voyeurism), हमला या अन्य आर्थिक उद्देश्य से बच प्रोडोक से अपराध इस क्षेत्र में शामिल है।
- 2015 में महिलाओं के अपहरण (Kidnapping) तथा बढ़ला फुसलाना कर अपने नियंत्रण में करने (abduction) के मामलों में भी वृद्धि हुई है। दोनों के लिए महिलाओं को मजबूर करना उनके अपहरण का मुख्त कारण रहा है।
- दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर उबाल है।
"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE
PRELIMS GS PAPER - 1

Duration: 90 classes (approximately)
- Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
- Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination

FOUNDATION COURSE
GS MAINS

Duration: 110 classes (approximately)
- Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
- Includes All India GS Mains and Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material

Note: Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student’s online platform within 24-48 hours of the live class.
1.1.3.1. जननांग विकृत करना
(Genital Mutilation)

सुधियों में क्यों?
सबौँ न्यायालय ने महिला जननांग विकृत (Female Genital Mutilation: FGM) पर रोक लगाने के लिए दायर एक जननियत वालिका के संबंध में केंद्र सरकार और चार राज्य सरकारों से प्रतिक्रिया मांगी है।

पृथ्वीमी:
• महिला जननांग विकृति (FGM) का "खतना" भी कहा जाता है और भारत में दाउदी बोहरा नामक एक मुस्लिम संप्रदाय में आमतौर पर इसका प्रचलन है।
• इस प्रथा के तहत, छह या सात वर्ष की आयु में वालिकाओं के जननांगों को विकृत कर दिया जाता है।
• यह कार्य, जिसमें अल्टोरिस थुड़ (clitoris hood) को काट दिया जाता है, अधिकांशतः 'अपरिश्वित बाली' द्वारा किया जाता है और इसके पूर्व द्वरावण है कि यह महिलाओं को यौन उत्साह की नियमितता करने का माध्यम है।
• 24 अक्षरी देशों में FGM को प्रतिबंधित है। साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका यह कई अधिनियमों के बीच में भी इसे अपनी कानूनी पोषण कर दिया है।
• दिसंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभाए ने एकमत से इस प्रथा को समाप्त करने का संकल्प स्वीकार किया था।

भारत में प्रत्ययण:
• IPC की धारा 320 (गंभीर चोंग रहुचना), 323 (जान-बूझकर चोंग पहुँचाने हेतु रंग), 324 (क्षरनाक हिंदियाँ या सादों से जान-बूझकर चोंग पहुँचाना), 325 (जान-बूझकर चंग पहुँचाने के लिए रंग) जैसे पार्श्वाय इस तरह की प्राधियों पर रोक लगाई गई है।
• पोर्को (POSCO) अधिनियम की धारा 3 औ 5 (एक बच्चे के साथ पेनेट्रेट सेक्सुअल अत्याचार) धारा 9 (संबंधी यौन उपीड़न) तथा धारा 19 (अपराध की पियाडिंग) FGM जैसी क्रांतियों को समाप्त कर सकती है।

आगे की राह:
• महिलाओं के प्रति इस प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए, गैर-सरकारी संगठनों की सहायता और चिकित्सकीय विवेचन के माध्यम से संस्कृति की प्रथाओं के प्रति आवश्यकता का उत्पादन करने की आवश्यकता है।

1.1.3.2 घरेलू हिंसा अधिनियम
(Domestic Violence Act)

• हाल ही में सांचीनी और कार्यक्रम कार्यतंत्र मंच ने ‘मीमें एंड मेन इंडिया 2015’ शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ अपराध की धरोहर में साइक उपर है।

तथ्यात्मक आंकों:
• महिलाओं का परिवार के बाद जी अधक शोषण होता है।
• "जूरी और रिवेंदरों द्वारा की जाने वाली कृत्रिम" जैसे अपराधों का हिंसा महिलाओं के खिलाफ जुलकर जाना है।

BRAK PICTURE
Disposal of crimes committed against women in 2014

<table>
<thead>
<tr>
<th>Crime</th>
<th>Cases reported during the year</th>
<th>Total cases for investigation</th>
<th>Cases in which charge-sheet submitted</th>
<th>Total cases disposed of by police</th>
<th>Disposed cases as percentage of total cases for investigation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rape</td>
<td>36,735</td>
<td>51,623</td>
<td>30,840</td>
<td>35,590</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Attempt to commit rape</td>
<td>4,734</td>
<td>4,672</td>
<td>2,781</td>
<td>3,369</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>Kidnapping &amp; abduction of women</td>
<td>57,311</td>
<td>84,685</td>
<td>26,044</td>
<td>49,150</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>Dowry Deaths</td>
<td>8,455</td>
<td>13,270</td>
<td>7,653</td>
<td>8,597</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>Assault on women with intent to outrage her modesty</td>
<td>8,735</td>
<td>10,164</td>
<td>6,462</td>
<td>76,388</td>
<td>76</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source: Women and Men in India - 2015, 11th issue, NISPI
गंभीर अपराधों के सभी पंजीकृत मामलों में सबसे बड़ा हिस्सा (सभी मामलों में से 36%) था।
- अपराध का दूसरा बड़ा वर्ग महिलाओं का शील भंग करने के उद्देश्य से किए जाने वाले अपराधों का था। महिलाओं के खिलाफ किए जाने वाले कुल अपराधों में ऐसे अपराधों का हिस्सा 26 प्रतिशत था।
- महिलाओं के बलात्कार, अपहरण और शारीरिक हमले में बुझी।
- बलात्कार: 2014 में, सभी पीड़ितों में से 44 प्रतिशत लगभग 18-30 वर्ष के आयु वर्ग के थे, जबकि हर 100 पीड़ित में से एक छह वर्ष से कम उम्र का था।

**घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act: DVA) में परिवर्तन**

- घरेलू हिंसा अधिनियम में सूचीमात्र के 'वृख्य पुरुष' (adult male) शब्द बाले प्रवासियों को का हिस्सा दिया है ताकि एक महिला उनसे महिला के बिरुद्ध लाइन संस्थानों में मॉडर्न कर सके।
- व्यापक तर्क
  - बूढ़े घरेलू हिंसा जैसे क्रूफ़ करने तथा इस प्रकार की हिंसा के लिए उकसाने वाले अपराधी महिला भी हो सकते हैं तथा उनके संस्कार देखे इस अधिनियम के उद्देश्य को विकस कर सकता है। एक प्रकार से मुल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत महिलाओं तथा अन्यत्वसन्धि को घरेलू हिंसा जैसे अपराध बिना किसी कानूनी कार्यवाही के माध्यम से देखे की छूट मिली हुई थी।
  - यह समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के बीच भेदभाग करता है और इस प्रकार संग्रहण के अनुश्रव द्वारा उपलब्ध करता है।

**परिवर्तन का महत्व**

- यह महत्त्वपूर्ण है कि एसे हिंसक रूप से तटस्थ बनाता है, जो कुछ विशेषज्ञों (फ़ेलसला देने वाले न्यायपालिकों सहित) के अनुसार (घरेलू हिंसा के उद्देश्य को बेहतर करने के लिए) अति प्राकृतिक परिस्थितियों के बिरुद्ध व्यवस्था के अनुसार दक्षता कर सकते हैं।

**व्यवहार**

- इस संबंध में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है कि अधिनियम के बदलाव का उपयोग पति अपनी पत्नियों के बिरुद्ध पारदर्श के वाक्य करने के लिए कर सकते हैं, तथापि इस प्रकार के लिए पति अपनी माता या बहनों को माध्यम बना सकते हैं।

- इस अधिनियम के तहत किशोरों को भी शामिल करने के प्रावधान पर प्रथित होना गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध में कोई आराधक प्रावधान नहीं है और इस तरह ऐसे मामले में किशोर स्वयं बोई के सामने करने का कोई प्रभाव नहीं होता है।

- घरेलू हिंसा के नहीं राहत पूर्ण: विश्वसनीय रूप में प्रदान किया जाना निश्चित किया गया है, जैसे- रखरखाव, मुआवज़ा और वैकल्पिक आवश्यक, जिसे केवल एक बयान के खिलाफ दाखिल करने के आदेश में प्राप्त किया जा सकता है।

**हाल में हुए बदलाव**

- घरेलू हिंसा की विधेयक को संशोधित किया गया है- इसमें निरनिरोध शामिल की गयी है: मानवीय दुर्लभता या दुर्लभता के संबंध में सारीवादी मामले जिसमें शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आदर्श उत्पीड़न एवं महिला या उसके रिश्तेदारों को अदालत के संबंध में स्पष्ट नहीं होता है।
- महिला शब्द की व्याख्या का विस्तार किया गया है। यह इस अधिनियम में "निश्चित रूप से भाग लेने", पत्नियों, बहनों, विधवाओं, माताओं, एकल महिलाओं को कानूनी संरक्षण पाने का अधिकार होगा।
- पुरुषों आदेश का अधिकार नियुक्ति के प्रबंधक या मामला पर होने के अधिकार, भले ही उस सघ में उसका गृह (मानिकाना) अधिकार हो या नहीं। यह अधिकार न्यायलंब द्वारा पारित नियम संबंधी आदेश द्वारा पुरुषित किया गया है।
गंभीर महिलाओं के लिए अधिनियम की आलोचना / दुरुपयोग

- यह अधिनियम शैक्षिक रूप से पूर्वाधिकार द्वारा ग्रस्त है और सलग तटस्थ नहीं है।
- झूठे मामलों की बढ़ती संख्या।
- यह जीवन साधन द्वारा बलात्कार जैसे दुर्उपयोग को शावक नहीं करता है।
- मौजूदा अवशेषों और मानविक आपराधिक है जिसे दुर्वर्त्त की शक्ति द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था की सम्भावना।
- गंभीर दुर्वर्त्त के मामलों में भी व्यवस्थापन व्यवस्था व्यवस्थापन और परामर्श का मार्ग अपनाती है। इसके अलावा पुरुष पुलिस अधिकारियों, मूलवार के दौरान व्यवस्थित व्यवस्था के द्वारा अवस्थान पर अंतर्निहित है।
- मैं विभिन्न possibile सहायता के लिए आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सहायता प्रणाली का अभाव।
- राज्यों में अपराधिक बदीय आवेदन- श्वास्यों ने पहले से व्यापक दृष्टि के कारण 'संरक्षण अधिकारियों' को नियुक्त नहीं किया है।
- आयोजन की जगह
- परेचार इतिहास में प्रभावित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- महिला सशक्तिकरण से संबंधित NGOs को परेचार इतिहास में महिलाओं की रक्षा के लिए प्रसारित किया जाना चाहिए।
- विभिन्न सरकारी पोस्टर और कार्यालयों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करना चाहिए।
- मामलों का तीव्र निष्पादन करना।
1.1.3.3. साइबर अपराध

(Cybercrime)

सुझियों में क्यों?
- महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और हाल ही में सरकार ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- NCRB के अंकड़ों के अनुसार साइबर अपराधों के तहत, 2014 में अश्लील, सुस्पष्ट यौन सामग्री (धारा 67 A, 68 B और इआटी अधिनियम की धारा 67 C के तहत) के प्रकाशन या संचरण के 758 मामले दर्ज किए गए हैं।

साइबर अपराध क्या है?
- साइबर अपराध एक ऐसी आपराधिक मांगितिक है जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है।
- इसमें इंटरनेट और मोबाइल फोन जैसे आधुनिक दूरसंचार साधनों का उपयोग करते हुए, साइबर अपराध का विरोध किया जाता है।
- इसका अर्थ है यद्यपि वातावरण में सामग्री का हानि करने के लिए हानिकारक होते हैं।
- सामान्य रूप से साइबर अपराध, जो विशेष रूप से महिलाओं को लक्षणित करते हैं:
  - ई-मेल के माध्यम से एपिपीड़न: यह पत्र, अनुलग्नक आत्मा और फोल्डरों को भेजकर ई-मेल के माध्यम से किया जाने वाला बहुत ही अम अपराध है; इसके अलावा सोशल मीडिया जैसे सामग्री के साथ यह सबसे अम है।
  - साइबर-धोखाधड़ी: यह पत्र, अंतर्निहित भौतिक खतरा जो कंप्यूटर, इंटरनेट, ई-मेल, फोन, पाठ-संदेश, बेंकेट्रेक्शन, बेंकेटेंट या वीडियोज जैसे कंप्यूटर तकनीक के उपयोग से डर पैदा करता है।
  - अश्लील सामग्री के प्रसार: आसमें पोनोग्राफ़ी (मूल रूप से चार्ट्स लोकायात्रा) शामिल है, जिसमें अनुलग्नक वातावरण के साथ बेंकेटेंटों की मेजबानी करना शामिल है।
  - ई-मेल स्पूंडे: आसमें एक देखा देने वाला ई-मेल कहा जा सकता है, जो आसका मूल का प्रवाहित करता है। इसमें यह संदेश और वनजी छवियों को त्योहार मवहलाओं से आते हैं।
  - साइबर पॉनोग्राफ़ी मुद्दे / सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

सुझियों की जाने वाली चुनौतियाँ?
- साइबर अपराध- महिलाओं के खिलाफ नीतिता से बड़े हैं और वे पूरी तरह से किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं।
- आईटी अधिनियम 2000 में महिलाओं से बंधित मुद्दों का उल्लेख नहीं है- इस अधिनियम में कुछ अपराधों को परिभाषित किया गया है जैसे हैकिंग, अश्लील सामग्री का इंटरनेट पर प्रकाशन, हेड्टा के साथ फ्यूड्डइंग दंडनीय अपराधों के रूप में, लेकिन यहां के अधिनियम में महिलाओं की सुरक्षा से समानत्वित खतरे को पूरी तरह से कर नहीं किया गया है।
- आईटी अधिनियम 2000 साइबर रेटिक्शन, होकिंग और ई-मेल स्पूंडे जैसे विशेष साइबर अपराधों का उल्लेख नहीं करता है।
- महिलाओं के बिचार बीमारियाँ उपदेश के मामले सरकार द्वारा ठीकते हैं संचारित नहीं कर रहे हैं।
- सोशल नेटिर्किंग साइटों के उपयोग अप्रिय और घृणास्पद सामग्री प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है जो महिलाओं को गरिमा के लिए अपमानजनक है।
हेल्पलाइन नंबरों महलाओं के लिए राष्ट्रीय अयोग ने एक रपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें साआबर अपराधों के लिए पुलिस और न्यायपालक अगे की राह:

- साआबर अपराध की जांच के लिए केरल, असम, मिजोरम आदि राज्यों में साआबर फोरेसिक प्रशिक्षण और जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं।
- साआबर अपराध की जांच के कार्यक्रम - विभिन्न विधि कावेज न्यायिक अधिकारियों के लिए साआबर कानून और साआबर अपराध पर कई जानकारी कार्यक्रम आयोजित करने में लगे हुए हैं।
- सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- हिसा से प्रभावित सभी महलाओं को 24 घंटे की आपत्तिकालीन और गैर-आपत्तिकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाइन के सार्वजनिक करण को मंजूरी दी गई है।

(Other Government Initiatives)

- केरल में "चिक" पहल: केरल के शहरों में महलाओं द्वारा संचालित चिक टैक्सियों से प्रेरित होकर केरल राज्य मार्केट परिवहन निगम (KSRTC) लिंकस्थानपुर में विशेष रूप से महलाओं के लिए गुलाबी रंग की बसें आरम्भ करेगा। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बसों में अर्थव्यवस्था की भीड़ होने के दौरान महलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक सावधानी परिवहन प्रदान करना है।
- TREAD- हाल ही में गृह, लघु एवं मध्यम उद्यम मंडल (MSME) ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए "व्यापार बंदूक उद्योगिता अथवा विकास योजना" (Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development: TREAD) नामक शीर्षक में एक योजना का परिचालन किया है।
- पक्षियों बंगाल सरकार की कृतीव्रती प्रक्रिया योजना - इस योजना का उद्देश्य वंचित अधिकारियों (जिन्होंने व्यापार शिक्षा की स्थिति में सुधार करनी) को देखने के लिए 1,20,000 रुपये के प्रति किए गए महिलाओं को सरकार ने उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत लड़कियों में शिक्षा का बढावा देने के लिए स्थान नकदी अंतरण के माध्यम से, बाल विद्यालय को रोककर तथा विशेष समावेश को बढावा देकर किस्मियों की स्थिति में सुधार करने का लक्ष्य है।
- तेजस्विनी परियोजना- हाल तक के विश्व-बैंक ने जारी रखा राज्य की किशोरियों के लिए नवृत्तियों सहित स्वास्थ्य और नवृत्तियों का सशक्त करने के लिए तेजस्विनी परियोजना है जो 63 मिलियन डॉलर का ब्यूज़ प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
- महिला शक्ति केंद्र- 2017-18 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया था कि 14 लाख ICDS अन्नवर्धक केंद्रों में नाद में पर महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। महिला शक्ति केंद्र अष्ठाशाखा विकास, रोजगार, विज्ञान साधारण, व्यवस्था और
पोषण के अवसरों के साथ प्रामाणिक महिलाओं के शासकीय का साधन संबंध के लिए वन-स्टॉप कन्वेंशन सपोर्ट सामर्थ्य प्रदान करेंगे। महिला शक्ति के द्वारा से महिलाओं के लिए आवश्यक सेवाओं का उपलब्ध होगी।

- महिला पुलिस स्वयंसेवक- हिंदुस्तान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ महिला पुलिस स्वयंसेवक की पहल को कराना और महिलाओं के लिए संस्कृति जिनियों में अपनाया गया है। राज्य में 1000 महिला स्वयंसेवकों के पहले बैठक की भर्ती की गयी है। महिला पुलिस स्वयंसेवक महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा क्रेडिट गृह मंत्रालय की एक संयोजन पहल है। इन महिला स्वयंसेवकों का प्रारूपक कार्य कराने वाले स्थानिक पर नम पहुंच रहे हैं जहाँ महिलाओं को जरूर सुना जाए।

1.1.5 राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का महत्व

(Draft National Policy On Women, 2016)

सृजनों के कौन? सरकार ने राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 का महत्व जारी किया।

नई नीति की आवश्यकता

- राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति, 2001 (NPWE, 2001) के बाद लगभग दो साल बाद एक नई नीति का आवश्यकता है। इसमें महिलाओं के लिए आवश्यक बातों के धर्म में रखते हुए उनकी उद्देश्य, विकास और स्वयंसेवन के लिए एक समान प्रभावी नीति तैयार की गई थी।

- पिछले कुछ वर्षों में कई विदेशी प्रवासियों द्वारा दर्ज की गई हैं। महिलाएं समानता और लैंगिक अधिकारों के प्रति आकर्षक हुई हैं। महिलाओं के बिलाफ स्वतंत्रता, तक्तिया, डेश इत्यादि जैसे विषयों पर कमांड प्रकार की हिस्से के बारे में हो गई तथा नवीनताओं के लिए रूढ़ि हुई है।

- नव शक्तियों का राष्ट्र महिला और राष्ट्रीय परिपक्वत में विस्तार और संबंधित के नए नीतियों के नए पहलुओं के प्रारूपक काम किया जा रहा है। इससे समाज में सामाजिक व्यवस्था और समाजीय आर्थिक मात्राओं के लिए हास्यवादी निषेधण में मध्य वृद्धि हुई है।

- महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी आदर्शों में परीक्षण आया है। यह स्थानीय काम किया जाता है कि महिला सशक्ति करण के लिए आवश्यक हैं। इसलिए एक नई नीति तैयार करने की आवश्यकता है, जो लैंगिक अधिकारों को वास्तविक रूप देकर, महिलाओं के मुद्दों से संबंधित सभी पहलुओं को संबंधित करके, उनमें सहस्त्रावृक्षों पर नियंत्रण करके तथा देश के सम्पूर्ण विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को बराबर का हिस्सा दिया जाए।

- इसके लिए एक नई नीति तैयार करने की आवश्यकता है, जो लैंगिक अधिकारों को वास्तविक रूप देकर, महिलाओं के मुद्दों से संबंधित सभी पहलुओं को संबंधित करके, उनमें सहस्त्रावृक्षों पर नियंत्रण करके तथा देश के सम्पूर्ण विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को बराबर का हिस्सा दिया जाए।

राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति, 2001:

राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति, 2001 का लक्ष्य महिलाओं की उद्देश्य, विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना है। इस नीति में स्वामित्व उद्देश्य निर्धारित हैं-}

- महिलाओं के वृद्धि के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें महिलाओं के पूर्ण उद्देश्य का पता लग सके।

- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान महिलाओं को भी समान मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता का लाभ अनुमति और वास्तविक रूप में दिया जाए।

- महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से कानूनी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।

- परिवर्तनशील सामाजिक परिपक्वत और सामाजिक व्यवहार द्वारा पुरुषों और महिलाओं दोनों की महिला भागीदारी का बढाना।
आस मसौदे द्वारा वनधायररत प्राथवमकताएं:

- खाद्य सुरक्षा और पोषण रूप स्वरूप: यह महिला नमबरी के बजाय पूरी नमबरी पर फोकस करके, महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को मान्यता देता है।

- शिक्षा: महिलाओं में मार्गता को बढ़ाने के लिए एक मिशन मोड आधारित दृष्टिकोण की कल्पना की गई है।

- अर्थव्यवस्था:
  - लैंगिक अनुभवों के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाया जाएगा क्योंकि गरीबी समबंधित पारिवारिक अनुभव लैंगिक गरीबी का अनुमान नहीं देते हैं।
  - लिंग और गरीबी की मतिशीलता के बीच संबंधों को संबंधित किया जाएगा, उदाहरण के लिए- इसके अंतर्गत कार्यन (workforce) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना,

- शासन और निर्णय: शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए इलाज, और अधिक क्षमता निर्माण करके,

- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा:
  - महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के सभी प्रकारों को दूर करने के प्रयास किया जाएगा। इसे पूरा में लंबे प्रोटेक्शन के बीच के समय दृष्टिकोण के माध्यम से लैंगिक हिंसा को जामात किया जाएगा।

- उचित परिवर्ष का निर्णय:
  - ग्रामीण और शहरी इलाजों में आवासीय प्राप्तियों, आवासीय कालोनियों की योजनाओं तथा आपात में लैंगिक दृष्टिकोण को प्राथवमक्ता दी जाएगी।

- पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन:
  - जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षण तथा प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय पलायन एवं विस्थापन से महिलाएं अनुभव करना होता है। पारवर्तन संरक्षण और पुनर्स्थापन समबंधित नीतियों और कार्यक्रमों में अंतर्भाग रूप से लैंगिक चिन्ताओं को प्राथवमक्ता करना है।

- इसके अंतिरित, कुछ उसरते मुद्दे भी पहचाने गए हैं। इनमें से कुछ हैं:
  - संबंधित प्रवर्तनों के अनुसार निजी और परम्परागत कानूनों की समीक्षा की जाएगी। इससे महिलाओं के लिए न्यायसंगत, समानता और अधिकारों की बढ़ती है।
कार्यवाहन का प्रयास और बीतने के सभी क्षेत्रों में वनणयय लेने का प्रयास किया जाएगा।

- गति का कार्यन्वयन
  - राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के स्तर पर, सामाजिक क्षेत्र के उपक्रमों, नियमों, व्यवस्थाओं, व्यापार संघों, मैसूर-सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों में योजना के हांड़कों की क्रियान्वयन करने के क्रम में विशेषकर प्रभावी रणनीतियाँ को लागू करने की आवश्यकता होती है।
  - नीति विकास में नीति निर्देश के संबंध में कार्य-लक्ष्य के साथ एक अंतर-मंत्रालयीय कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस कार्य योजना में विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार संगठनों/विभागों का निर्धारण किया जाएगा तथा उन्हें संबंधित निर्धारित नवध, आधार नम्बर गतिविधियों, समयसीमा (लघु नवध, मध्यम नवध और दीघकालिक) और परिणाम सशस्त्र भी दिए जायेंगे।
  - कार्य-योजना के तहत की गई उपलब्धियों और प्रगति की समय-समय पर निरन्तर के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति की स्थापना की जाएगी।

1.2. ट्रांसजेंडर समस्या से संबंधित मुद्दे

(Issues Related to Transgenders)

ट्रांसजेंडर समस्या को भी भारत में युवाओं का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर आदमी उन सभी लोगों के बारे में प्रकट होता है जो सामान्य रूप से स्थायित्वपूर्ण पहचानों से वभन्न करते हैं और उनके पथर्वतार व्यवहार प्रभावित करते हैं। इसमें ट्रांसपशुमार्क, ट्रांसवेब्सोस्ट्रॉमेट्री, ट्रांसवेब्सोस्ट्रोमेट्री व्यक्ति और विवेचना स्थायी प्रभाव कायलों लोग (gender queers) शामिल हैं। भारतीय संस्कृति में इसमें आधार, जिस्त्र, अरुणी, जोगी/जोगी, विवश-शांति और अरुणी जैसी सामाजिक पहचानें भी सम्मिलित हैं।

ट्रांसजेंडर्स की समस्याएँ:

- सामाजिक कलंक (Social stigma): जन्म के साथ ही ट्रांसजेंडर्स को समाज से अलग-अलग कर दिया जाता है, जिससे उनका समाज के साथ एकीकरण नहीं हो पाता है।
- शिक्षा: उन्हें आधिकारिक रूप से स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती। इतना ही नहीं, उनके लिए विशेष विभागों का भी अभाव है।
- रोजगार: कुल कार्यक्रम में उनकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है।
- उनका अपना मामला भी उनसे लगभग बेहतर है।
- राजनीति एवं नियर्वान प्रक्रिया तक उनकी पहचान नहीं है।
हालाँकि, पिछले कुछ समय में ट्रांसजेंडर समुदाय अपने अधिकारों के बारे में अधिक मुखर हुआ है। सरकार के विभिन्न अंगों और स्तर भी उनकी चिंताओं और उनसे सम्बंधित मुद्दों का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य प्रमुख मुद्दा यह भी है कि उन्हें भारतीय दंड महिला की धारा-377 के कारण भी समस्याओं का मामला करना पड़ता है। धारा-377 के तहत समलैंगिकता को अपराध माना गया है (वितर देखें).

हालांकि, दिल्ली उभ्यावलय में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने (डीजिमिनलाइजेशन) का निर्णय दिया था किन्तु कौशल बनाम नाज़ पायथेशन मामले में सब्जंजु उभ्यावलय ने इसे पुनः उलट दिया। इस प्रकार सब्जंजु उभ्यावलय ने समलैंगिकता को पुनः अपराध घोषित कर दिया।

कौशल निर्णय के बाद का घटनाक्रम

- जुलाई उभ्यावलय ने अपने एक फैसले में समलैंगिकता प्रदर्शित करने वाली एक फिल्म को जुलाई सरकार द्वारा करने के बाद लूट देने को असंवैधानिक करने का निर्णय दिया।
- NALSA बाद (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर की सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में 'वर्ण जेंडर' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। उन्हें पुरुष, महिला या वर्ण जेंडर के रूप में आम-निधित्त्रण करने का अधिकार होगा और उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त सभी मौलिक अधिकार भी प्राप्त होंगे। इसके साथ ही इस निर्णय से इसके शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश तथा नौकरियों के संबंध में आर्थिक भी प्रदान किया गया क्योंकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से मिलता वर्धान माना गया है।
- इतिहासांत उभ्यावलय ने निर्णय दिया है कि ट्रांसजेंडर्स को बाध्य सुरक्षा कानून के तहत "पह" का मुखिया" माना जाएगा।
- रैली आयोजनशील, राशन कार्ड आदेश, पासपोर्ट आदेश एवं अन्य राशन संबंधी मामलों में अब "वर्ण जेंडर" का भी एक विकल्प उपलब्ध है।
- दिल्ली सरकार ने जम और मूल्य प्रमाण पत्रों के पंजीकरण फॉर्म में "ट्रांसजेंडर श्रेणी" को शामिल करने का निर्णय लिया है।
- ट्रांसजेंडर्स के संवैधानिक अधिकारों के संबंध में, यह नीति कि उल्लेखनीय तथा अत्यधिक मामले के प्रति सामाजिक कल्पना (सोशल स्टेटस) को समाप्त कर सुनिश्चित करने तथा उनके अधिकार दिलाने है। यह नीति तभी उद्देश्य में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के ट्रांसजेंडर बेलफॉर्ड बोर्ड के इस तरह मात्र कल्याण तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है।
- भारत की पहली ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन करलें स्टेट स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा लिकान्टिपुर में किया गया। नीतियों का निर्धारण इसमें लाल 'जेंडर बादली नाकाम' अलेक बैल दो लैंडर की नीतियों (पुरुष एवं महिला) के आधार पर किया जाता रहा है। अतः इस तरह के खेलों का आयोजन कानून और उनके निर्माण के बीच के अंतराल को समय करने के लिए करने वाले प्रयासों का एक परिमाण है।
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 44 में संशोधन के माध्यम से जल्द ही ईदाई सेंज़र्ड को भी संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त होने की संभावना है। इस संशोधन से पैकेट संपत्ति में ट्रांसजेंडर्स को पूर्वोत्तर और महिलाओं के समान अधिकार दिए जा सकते हैं। यह विशेष रूप से पृथ्वी के बाहर दिल्ली अधिकारों में भेदभाव किया जाना देखा कानूनी उपयोगों का सहारा दे सकते हैं।
- ओडिशा देश का प्रथम राज्य बन गया है जिसमें ट्रांसजेंडर्स को महिली रेखा से नीचे का दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें ओडिशा के लगभग 22 हज़ार ट्रांसजेंडर्स को लाख मिलेगा। ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को राष्ट्रीय बाध्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कवर करने का निर्णय लिया है।

Karol Bagh 1/8-B, 2nd Floor; Apsara Arcade, Near Gate 6, Karol Bagh Metro, Delhi-110005
Mukherjee Nagar: 101, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Delhi-110009
31 www.visionias.in 8468022022 ©Vision IAS
केसर के टांसजेंडर नीति
• यह टांसजेंडर (TGs) की सभी क्षेत्रों को शामिल करता है जहां पुरुष TG हो अथवा महिला TG या इंटरसेक्स मतलब।
• यह पुरुष, महिला या TG के रूप में स्वयं की घराना निर्धारित करने के अन्य संबंध शामिल के एक कारक पर जोर देती है।
• यह नीति मुनिख्विषत करती है कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक अवसर, समाजीय और सेवाओं में समान सहायता करने का अधिकार।
• यह विलंबित रूप से है कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक अवसर, समाजीय और सेवाओं में समान सहायता करने का अधिकार और उन्हें निर्भर बनाने के लिए निर्देशित करती है।
• यह विलंबित रूप से है कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक अवसर, समाजीय और सेवाओं में समान सहायता करने का अधिकार और उन्हें निर्भर बनाने के लिए निर्देशित करती है।
• यह विलंबित रूप से है कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक अवसर, समाजीय और सेवाओं में समान सहायता करने का अधिकार और उन्हें निर्भर बनाने के लिए निर्देशित करती है।
• यह विलंबित रूप से है कि उन्हें सामाजिक और आर्थिक अवसर, समाजीय और सेवाओं में समान सहायता करने का अधिकार और उन्हें निर्भर बनाने के लिए निर्देशित करती है।

विख्यात के प्राध्यात्मिक
• टांसजेंडर अभ्यास के प्रांत: जिले के अनुसार एक टांसजेंडर अभ्यास के प्रान्त में जिले (i) पूर्व: महिला या विकास नहीं है; (ii) महिला और पुरुष, दोनों का इसका रूप है; (विश्व) (iii) पूर्व में है और न है पूर्व।
• उपाधिकार पर प्रतिष्ठ: यह टांसजेंडर को मूलभूत श्रेणी में संबंधित देने से सप्ताह के लिए मिली जानी चाहिए तथा उससे होने वाले उपाधिकार के मामले में संरक्षण प्रणाली करता है।
• निवास का अधिकार: यह टांसजेंडर अभ्यास का अधिकार तथा उससे होने वाले उपाधिकार के मामले में संरक्षण प्रणाली करता है।
• स्वास्थ्य देखभाल: सरकार टांसजेंडर अभ्यास के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
• टांसजेंडर अभ्यास के पहलू-पहलू: जिसी टांसजेंडर अभ्यास का आयोजन करने पर इसे जिले मुख्य स्थान में जिले मुख्य स्थान में जिले मुख्य स्थान करना जाता है।
• सरकार के कार्यान्वयनीय उपाय: सरकार टांसजेंडर को समाज की मुख्य व्यवस्था में शामिल करने और उनकी पूर्व सहभागिता मुनिख्विषत करने के लिए कदम उठाएगी। इसके लिए सरकार पुरुषों के आयोगों, रोजमर्रा जोरड़ों और व्यवस्थापिक परिवर्तन में सहायता करने के लिए कदम उठाएगी।
• अपराध और दंड: विशेषता के अनुसार नियम लागू करने का आयोजन के प्रभाव के श्रेणी में जाती है: टांसजेंडर से भी भीक मांगना; वृद्ध-वृद्ध या बेघुड़ा मजदूर करना; उन्हें सार्वजनिक रूप से उपयोग करने से रोकना; उन्हें मुक्ति देने से रोकना; उन्हें मुक्ति देने से रोकना। इन अपराधों के लिए दंड अवश्यक और अपराधों का आयोजन करता है।
• नॉन-नॉन फॉर टांसजेंडर पदक (NCT): केंद्र सरकार को टांसजेंडर अभ्यास के संबंध में नीतियों, विधानों और योजनाओं के निर्माण व निगरानी के विषय में सलाह देने के लिए NCT की स्थापना की जाएगी।

1.3. बच्चों से संबंधित मुद्दे

(Issues Related to Child)

भारत में बच्चों अनिवार्यता शील समुदाय में से एक है जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से बंधा है। बच्चों से संबंधित मुद्दों को अधिकार की रक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। यह बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।
1.3.1. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016
(National Action Plan for Children, 2016)

सुझावों में क्यों?
• बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPC), 2016 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) द्वारा आरम्भ की गई थी।

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013
• यह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चे के रूप में मान्यता देती है।
• इसका मानना है कि बच्चों समूह समुह नहीं हैं तथा उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार की अनुश्रुतियों की आवश्यकता होती है।
• इसका उद्देश्य बच्चे के पालन-पोषण हेतु परिवार को सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करना है।
• इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को सामर्थ्यात्मक, अमृत्र और व्यक्तिगत मानव अधिकार प्राप्त हैं।
• इसके चार प्राथमिकता क्षेत्र हैं:
  - जीवन रक्षा, स्वस्थ्य और पोषण
  - शिक्षा और विकास
  - बाल संरक्षण
  - बच्चे की मान्यता

पहल की आवश्यकता
• बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति भारत सरकार (GOI) द्वारा 2013 में अपनाई गई थी।
• NAPC वर्ष 2013 की नीति को अपने प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यरत बनाने के लिए रणनीतियों से जोड़ती है।
• इसका उद्देश्य बाल अधिकारों पर ध्यान देने के लिए भारत सरकार एवं नागरिक समाज में सम्निश्चित विभागों के समन्वय करना है।

भारत ने 2013 में उभरे मुद्दों के लिए राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत की थी और इसे आर्थिक, विशेष और जीवन रक्षा के माध्यम से समग्रता के आधार पर व्यवस्थित करेगी।

कार्य योजना के प्रारंभ
राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 के कुछ प्रारंभ इस प्रकार है -

बाल जीवन, स्वस्थ्य और पोषण पर
• यह मातृ और बाल स्वस्थ्य वेबसाइट को सामर्थ्यात्मक रूप प्रदान कर बच्चे के स्वस्थ्य में सुधार करने में सहायता करेगी।
• यह सामर्थ्यात्मक परिक्रमण के लिए सम्बंधित संस्थाओं के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को स्वस्थ्य सेवाओं में सहायता करेगी।
• यह मातृ और बच्चे की प्रस्तुत-पूर्व, प्रस्तुत, तत्कालीन और प्रस्तुत-पूर्व धर्म व प्रस्तुत-पूर्व देखभाल के लिए संयुक्त उपायों के माध्यम से मानवता और शारीरिक अधिकारों की रोकथाम करेगी।

शिक्षा और विकास पर
• यह कार्य योजना है: वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्व स्वास्थ्य वेबसाइट और शिक्षा (अर्थात् चाइल्डफ्लूड केयर एंड एजुकेशन: ECCE) के लिए सामर्थ्यात्मक और न्यायपूर्ण पहुंच प्रदान करेगी।
• यह सभी बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक सल्लात, सूचना और गुणवत्ता पूर्व शिक्षा को बढ़ावा देगी।

बाल संरक्षण पर
• यह स्पष्ट स्थानों पर बाल संरक्षण के लिए विभाग, ग्रामपंचायत और संस्थागत निर्माण तंत्रों को मजबूत बनाने में सहयोग करेगी।

बाल भागीदारी पर
• यह योजना सुनिश्चित करेगी कि बच्चे स्वयं से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाने एवं उनके कार्यान्वयन में सहिष्णु रूप से भाग लें।
कार्य योजना का महत्व

- NAPC संगठनीय विकास लक्ष्यों (SDGs) पर ध्यान दें एवं उन्हें ग्राहण करने के लिए रोइमेंट ग्राहण करें।
- NAPC बच्चों के लिए उल्लघती चिंताओं जैसे ऑनलाइन बाल दुर्घटनाओं, आपदाओं और जनवादी परिवर्तन आदि से प्रभावित बच्चों
  इन्द्रिय पर ध्यान केंद्रित करें।

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार, NAPC द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वय एवं कार्य समूह (NCAG) का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य समूह योजना का समन्वय, कार्यन्वयन एवं निरीक्षण करेगा।

1.3.2. बाल दत्तक ग्रहण

(Child Adoption)

भारत में विद्या की बच्चों की संरक्षित अवार्ड निवास करती है। बच्चों को गोद लेना सांस्कृतिक विश्व और बेघर बच्चों दोनों के लिए एक समाधान हो सकता है। यह शोषणकारी मानी जाती है।

1.3.2.1. दत्तक ग्रहण विनियमन 2017

(Adoption Regulations 2017)

सुविधाओं में क्या?

- सरकार ने 2017 तक के गोद लेने हेतु शिक्षा-निर्देशों को प्रतिपादित करने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा गठित दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 को अधिकृत किया। यह दत्तक ग्रहण (गोद लेने की प्रक्रिया)
  को सरल एवं कारगर बनाने के लिए मदद करेगा।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 68 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को निर्दिष्ट बनाया कार्यों के लिए उलटराइच्छी बनाती है:

- अंत-रेखाएं एवं अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण (एडोप्शन) की बढ़ाई देना।
- दत्तक ग्रहण के समाचार में विनियम बनाना।
- हेड कलेशन ऑन इंटर-कंट्री एडोप्शन के अनुसार अंतर-रेखाएं दत्तक ग्रहण की बढ़ाई देना।

विनियमन की आवश्यकता

- 2015 के विश्व-निर्देशों में जिन भी प्रकार की विधिक शक्तियां नहीं थीं, जबकि 2017 के विनियमों में प्रवर्तन की शक्तियां
  समाहित होंगी।
- ये विनियमन हितधारकों हेतु गोद लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने, जन्म प्रमाण-पत्रों, पासपोर्ट, याचिकाओं हेतु आवेदन करने के
  लिए समय-सीमाएं निर्धारित करेंगे।

विनियमन क्या कहलाता है?

- अंत-रेखाएं और अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को स्पष्ट संरचना से परिभाषित किया गया है।
- CARA गोद लेने के लिए CARINGS के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत रिपोर्ट करेगा एवं सुविधाजनक बनाएगा।
- सुरक्षा उपायों के लिए, CARA गोद लिए गए बच्चों के रिकार्ड को बनाए रखेगा एवं गोद लेने के बाद का फॉलोअप सुनिश्चित करेगा।
पहरण

सौतेले माता

विवनयमन का महत्व

वह संवैधानिक अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता की विशिष्टता में किए जाने वाले सूचरों का भाग है।

वह दत्क ग्रहण प्रक्रिया को सुचार रूप प्रदान करने के लिए CARA एवं दत्क ग्रहण एजेंसियों द्वारा दत्क ग्रहण प्रक्रिया में सामना की जाने वाली चुनौतियों का निराकरण करेगा।

यह संपत्ति के उत्तरधिकार के मामले में दत्क ग्रहण किए गए बच्चों को विविध उत्तरधिकारी बनाता है।

चुनौतियाँ

उचित कार्यान्वयन का अभाव दत्क ग्रहण प्रक्रिया के बच्चों के लिए शीघ्रता बना सकता है।

विविधकसन की सफलता के लिए सार्वजनिक का श्रम निर्माण का पूर्व साधन है।

1.3.3. बाल अपहरण (Child Abduction)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) ने अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण विवेधक, 2016, के नागरिक पहलुओं का मसौदा तैयार किया गया है।

जिसको यदि मदर दे दी गई तो 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे, जिसका "बलत तरीके से स्थान बदला गया है या यूरोपी राज्य में भेजा गया है, जिसमें बलत अभ्यस्त निवासी नहीं है", की शीघ्र वापसी सुनिश्चित होगी।

विवेधक हेम कन्वेशन के प्रावधान को लागू करने के लिए एक समर्थक विवधान प्रदान करेगा।

हेम कन्वेशन का लक्ष्य "बच्चों के मलत तरीके से किये गए अवस्थापन या मलत तरीके से उन्हें रखने के हानकारक प्रभावों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की रक्षा करना और उनके अभ्यस्त निवास के राज्य में उनकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित करना, साथ ही उनके (गृह-राज्य तक) पर्यावरण के अधिकारों का संरक्षण सुरक्षित करने की प्रक्रियाओं की स्थापना करना है।"

94 लेख अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेम कन्वेशन के पक्षकार है।

भारत ने हेम कन्वेशन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। कोई देश तब इसका हस्ताक्षर नहीं कर सकता है जब बच्चों पर पहले से इस सम्बन्ध में कोई कानून लागू नहीं है।

विवेधक की वस्तुताएं

महिला विवेधक एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसका प्राधिकरण केंद्र सरकार का एक अधिकारी होगा, जो भारत सरकार के संघर्ष सचिव के पद से रीति पर नहीं होगा।

ऐसे बच्चे की वापसी सुनिश्चित करने में सहायता के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के समस्त आवेदन दिया जा सकेगा।

केंद्रीय प्राधिकरण को इस प्रकार के सभी मामलों में फैसला करने की शक्ति होगी।
Karol Bagh
1/8-B, 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Gate 6, Karol Bagh Metro, Delhi-110005
Mukherjee Nagar: 101, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Delhi-110009
36
www.visionias.in 8468022022 ©Vision IAS

1.3.4. बाल यौन शोषण

(Child Abuse)

राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टेड ब्यूरो (NCRB) के अंकों के अनुसार 2001 से 2011 तक कुल 48,338 बच्चों के बलात्कार के मामले दस्तावेजित किये गये थे। भारत में बच्चों के बलात्कार के मामलों में 336% वृद्धि देखी गई है। 2001 में जहां 2,113 मामले सामने आए थे, वहीं 2011 में 7,112 मामले सामने आए।

मुद्दे:
- ये अंक हमेशा उच्च रहते हैं क्योंकि बच्चों के बलात्कार के अधिकांश मामलों की रिपोर्ट पुलिस को नहीं की जाती है।
- यह सर्वाधिक है कि 10 में से 9 बलात्कार और यौन शोषण पीड़ित के जानकार व्यक्ति द्वारा किये जाते हैं।
- पुलिस, वकील और अप्रमाणित अग्रणी कर्मचारियों का असंबंधित और असहयोगी सीमावर्ती अभियोजन और दोपहरियाँ को कालन बना देता है।
- समृद्ध व सहयोग के बावजूद बच्चों के निषिद्धतामय रूप से यौन उत्तेजना के अनेक रूपों से पीड़ित होते हैं।

बच्चों के बलात्कार के मामलों क्यों बढ़ रहे हैं?

रिपोर्टिंग में वृद्धि:
- यौन शोषण और बलात्कार के मामलों का रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है, क्योंकि इससे जुड़े कल्पन की भावना में कमी आई है।
सोशल मीडिया ने बाल यौन शोषण के संबन्ध में जागरूकता में वृद्धि की है। अनेक सुप्रसिद्ध लोगों (अभिनेत्री कलिंग कोईचिंत) द्वारा उनके बचपन में हुए यौन उत्पीड़न के प्रकटन से भी अनेक माता-पिता को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने की प्रेरणा मिली है।

नए आपराधिक कानून:

- 2012 में POCSO के अधिनियम और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 ने भी बच्चों के बलात्कार के मामलों की उबल रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण प्रभाव लिया है।
- अब बलात्कार की परिभाषा में पहले के तुलना में यौन उत्पीड़न के और अधिक रूपों को सम्मिलित किया गया है।
- लड़कियों के लिए यौन रहस्यवाद की आयु 16 से बढ़ा कर 18 वर्ष कर दी गयी है। इसका अर्थ है कि लड़कों पर 16 वर्ष की लड़की के साथ रहस्यवाद में यौनप्रक्रिया करने पर भी बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है।

बच्चों के बलात्कार के लिए विशेष कानून की आवश्यकता—POCSO:

सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया के स्वयं स्तर पर बच्चों के हितों की गरीबी करने हेतु बच्चों के यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और बलात्कार के मामलों को योजना रूप से अधिनियमात्मक रूप से प्रबंधित करने के लिए प्राथमिकता में आया है।

बुनियादियों:

- वर्तमान न्यायालय द्वारा 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद भी किसी भी नियामक या नियामकीय नियम को विपरित तुलना नहीं करा जा सकता है।
- पुलिस या अन्य पक्षों द्वारा POCSO के प्राधिकारों को उचित दंग से लागू करने के लिए प्रतिबंधित करने का प्राधिकार नहीं है। पुलिस के अधिकारों को नियंत्रित लागू करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता, प्रतिकूल और जानकारी की आवश्यकता है।
- भारतीय दंड संविधान और सूचना प्राप्तिकी (IT) अधिनियम तथाकथित “अश्लील सामग्री” के निर्माण या प्रसार को प्रतिबंधित करते हैं तथापि अश्लील सामग्री को प्रकटित करने हेतु कोई स्पष्ट कानून नहीं है।
- व्यक्ति अर्थात एक सामग्री अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति पाया जाता है तो अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और संचरण करने पर तीन वर्ष के कारावास का प्राधिकार है।
सरकार द्वारा उद्धृत गई अन्य कदमों की चर्चा निम्नलिखित है:

### चाइल्ड पोनोग्राफी पर प्रतिबंध:

#### सर्वजनिक न्यायालय का मत:
- चाइल्ड पोनोग्राफी को दोकानों के उपायों और साधनों का सुसाधन देने के लिए केंद्र सरकार को एक आदेश पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
- अभियोग बालों को इस दर्दनाक स्थिति का शिकार नहीं बनाया जा सकता है और एक राष्ट्र स्वतंत्रता या बाक़ स्वतंत्रता और अभियोगिता-व्यवस्था के नाम पर बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकता।
- यह कहा गया है कि कस्ता और अभद्रता के बीच एक विवाहित रेखा होनी चाहिए और चाइल्ड पोनोग्राफी को बाक़ और अभियोगिता की स्वतंत्रता के नाम पर उद्धरण नहीं दिखाया जा सकता।
- सर्वजनिक न्यायालय ने कहा है कि पोनोग्राफी से सम्बंधित मानदंडों को निर्देशित किया जाना चाहिए तथा अन्य मामलों में पहले ही यह निर्धारित नहीं ठहराया जा सकता।
- सर्वजनिक न्यायालय ने कहा है कि पोनोग्राफी से सम्बंधित मानदंडों को निर्देशित किया जाना चाहिए तथा अन्य मामलों में पहले ही यह निर्धारित नहीं ठहराया जा सकता।
- सर्वजनिक न्यायालय ने कहा है कि एयरल और चाइल्ड पोनोग्राफी से सम्बंधित वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श लेने के लिए तथा राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) से सुझाव लेने के लिए कहा है।

### आरोपी पहल:
- इंटरनेट के माध्यम से बच्चों का यौन शोषण रोकने और विद्यमान चाइल्ड पोनोग्राफी को इंटरनेट से हटाने वाली यह देश की पहली हॉटलांड है।
- लक्ष्य: ऑनलाइन चाइल्ड पोनोग्राफी के कोड को समाप्त करना और ऑनलाइन सामग्रियों में बाल सरकार के कार्य को आगे बढ़ाना।
- यह देश में बाल सरकार के लिए कार्य कर रहे संगठनों और व्यवस्थाओं का एक नेटवर्क है। इसने UK स्थित इंटरनेट बाल फाउंडेशन (IWF) के सहयोग से कार्य किया है।

### सरकार का मत:
- एडिशनल सोसाइटर जनरल ने कहा है कि इंटरपोल और CBI जैसी एजेंसियों ने विशेष रूप से चाइल्ड पोनोग्राफी से जुड़ी साइट्स को बंद करने के लिए आदेश पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
- सरकार ने यह भी कहा है कि यदि सभी पोनोग्राफी को बंद करने की सामग्री होती (और न ही पोनोग्राफी को बन्द करने की सामग्री होती), परन्तु केवल चाइल्ड पोनोग्राफी को बंद करना सकती है।
- चाइल्ड पोनोग्राफी को प्रतिबंधित किया जा सकता है परन्तु पोनोग्राफी से जुड़ी साइट्स को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे किसी देश के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं।

### अभद्र सामग्री को प्रतिबंधित करना कठिन क्यों है?
- ऐसी वेबसाइट्स के URLs को अवरुढ़ करने की विधि प्रायः अफ़्लाइक है क्योंकि ये केवल अपने URLS बदल बदल कर कार्य करने रहते हैं।
- अधिकांश सर्वेक्षण भारत के बाहर लिखे हैं।

### 1.3.5. बाल/किशोर अपराध

#### (Juvenile Delinquency)

किशोर अपराध बच्चों और किशोरों के अनेक प्रकार के अस्थिकृत व्यवहारों को दर्शाता है और जिसके लिए सार्वजनिक हित में धरोहर वहूँ-फक़र, गजरा या सुधारक सामग्री का उत्पत्ति माना जाता है। इसमें किशोरों द्वारा किये गये कानूनी और सामाजिक मानदंडों के बिना उल्लंघन तथा छोटे-मोटे अपराधों में लेकर गम्भीर अपराध तक सम्मिलित हैं।

Karol Bagh 1/8-B, 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Gate 6, Karol Bagh Metro, Delhi-110005
Mukherjee Nagar: 101, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Delhi-110009
38 www.visionias.in 8468022022 ©Vision IAS
किशोर अपराधों के कारण:

- **व्यवस्था कारण**– इसमें अधिक, भय, स्व-नियन्त्रण का भाव, भावनात्मक दंड आदि जैसे कुछ व्यक्तिगत नक्सल समिलित हैं।

- **पारिवारिक कारण**– विभाजित परिवार, पिता की कार्य सम्बन्धी आदेश, माता-पिता के बीच सम्बन्ध, भाई-बहनों का प्यार, पारिवारिक स्तर, पिता का अनुमान और बेटे आदि एक बच्चे के आचरण को परिभाषित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रीरंग, वैदिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में इन कारकों में परिवर्तन आ रहे हैं।

- **विद्यालय और सहकर्मी समुप सम्बद्ध**–परिवार के पश्चात, बच्चे बिद्यालय में अपने मित्रों के साथ अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है। बच्चों में मूल्यों की स्थापना एवं बुद्धि के लिए बच्चे क्रियाशीलता के रूप में सम्मानित है। इसलिए, इनकी मायामी को बच्चों की आवश्यकता का अनुरूप निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

- **निरंतर बेरोजगारी और निश्चिन्ती**–इसमें किसी भी प्रकार के आपराधिक और अतिरिक्त व्यवहार में उनकी मौजूदगी बढ़ने की सम्भावना रहती है।

युवा अपराधों के साथ निर्बलित परिणाम जुड़े रहते हैं:

- **अन्य आर्थिक अवसरों का अभाव**–उनके अतिरिक्त का रिकॉर्ड उनके लिए अन्य अधिकार, आवास और स्वच्छ भवनागत की सम्भावनाओं को प्रतिभा सकता है।

- **निर्म सामाजिक स्थिति**–इसके परिवारों को समाज में हेतु कृति से देखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक तनाव और सामाजिक संघर्ष हो सकते हैं।

- **अपराध दर में बुद्धि**–यदि इन अपराधों के रूप में समय रहते समय रहते सामाजिक-अर्थीय उपाय नहीं किए गए, तो ऐसे ही परिवारों या इसके प्रदर्शन से ये अविश्वास कामयाब बन सकते हैं।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सरक्षण) अधिनियम, 2015:

सूचना प्राप्तवातः

- इस अधिनियम ने किशोर न्याय (देखभाल और सरक्षण) अधिनियम 2000 का स्थान लिया है।

- यह बच्चों के कानून के साथ संगति की स्थापना तथा उनकी देखभाल और सरक्षण की आवश्यकताओं को समाधित करता है।

- किशोर न्याय बोर्ड (JJB) और बच्चों का नाम (CWC) का गठन प्रत्येक जिले में किया जायेगा।

- JJB यह निधनित करने के लिए प्राथमिक जाँच करेगा कि क्या किशोर अपराधी की पुनर्जीवन के लिए भेजा जाना चाहिए, या उस पर एक वयस्क भाव संस्थापित करने का विकल्प रखना चाहिए।

- CWC उन बच्चों की संभावना देखभाल की आवश्यकता को निर्धारित करेगा, जिन्हें देखभाल और सरक्षण की आवश्यकता है।

- 16 से 18 वर्ष के आदेश में जगत अपराध निराकार करने वाले बच्चे अपराधियों से निपटने के विशेष प्राप्तवातः किये गये हैं।

- प्रारंभिक मुद्दामाक्ष के पश्चात इस प्रकार द उन बच्चों के जवाबदेह अपराधियों के मामले को बाल न्यायाधीश (बच्चे न्यायाधीश) हेतु नाराजित करने का विकल्प किशोर न्याय बोर्ड को दिया गया है।

- केन्द्रीय संसदात्मक प्राधिकरण (CARA) को एक वैधानिक मित्र का दायि दिया गया था ताकि इसे अपने कार्य को अधिक प्राचीन दंड न रखने के लिए सक्षम किया जा सके। इससे आन्ध्र, परिवर्तक और आत्मसमरपति करने वाले बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को संभालता प्राप्त होगी।
बच्चों के विरुद्ध कई नये अपराध, जो अब तक किसी भी कानून में पर्याप्त रूप से कवर नहीं किये गये थे, इस अधिनियम में सम्मलित किये गये हैं। इसमें सम्मलित हैं:

- किसी भी उद्देश्य से बच्चों की चिंत्री और खरीद, जिसमें सैलर-कानूनी डंग से गोद लेना, बाल देखभाल संस्थाओं में शारीरिक दंड भी सम्मलित हैं।
- आतंकवादी समूहों द्वारा बच्चों का उपयोग
- विकलांग बच्चों के विरुद्ध अपराध
- बच्चों का अपहरण और बहना पुस्तक कर लेना।

समीक्षात्मक विश्लेषण:

- JJ अधिनियम राज्य में किशोर बन्दियों को शिक्षा, कौशल विकास, वर्तमान, व्यवहार संप्रौद्य चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। परन्तु भारत के किशोर गृहों में अभी इस प्रकार की गतिविधियों के लिए विशेषपत्र उपलब्ध नहीं हैं।
- किशोरों पर वयस्कों के रूप में अभियोग चलाने पर अभी विचार बहुत मिश्न हैं। कुछ लोगों का ता कि वर्तमान कानून ने जन्म अपराध दर में बच्चों के लिए योगसंगत की भावहीनता को नहीं किया है। कुछ अन्य मंत्र के अनुसार सुधारबादी दृष्टिकोण से अपराधों को दोहराने की सम्भावना कम हो जाएगी।
- इसके अतिरिक्त, सामाजिक कार्यक्रमों के अनुसार केवल विभिन्न कारागार बंदियों के लिए सुधार पर केन्द्रित नहीं होता और अधिकांश बंदियों के द्वारा आपराधिक गतिविधियों में मंगल होने के उद्देश्य मिलते हैं।

**PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र**

**by ANOOP KUMAR SINGH**

**Classroom Features:**
- Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
- Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
- Develop Analytical, Logical & Rational Approach
- Effective Answer Writing
- Printed Notes
- Revision Classes
- All India Test Series Included

**Answer Writing Program for Philosophy (QIP)**

Overall Quality Improvement for Philosophy Optional

**Daily Tests:**
- Having Simple Questions (Easier than UPSC standard)
- Focus on Concept Building & Language
- Introduction-Conclusion and overall answer format
- Doubt clearing session after every class

**Mini Test:**
- After certain topics, mini tests based completely on UPSC pattern
- Copies will be evaluated within one week

Classes at Jaipur & Pune

Karlo Bagh 1/8-B, 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Gate 6, Karol Bagh Metro, Delhi-110005
Mukherjee Nagar: 101, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Delhi-110009

www.visionias.in 8468022022 ©Vision IAS
यह यूनाइटेड नेषंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाल्ड का ईल्लंघन है। इस कन्वेंशन के तहत सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों की 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना आवश्यक है। यद्यपि UK, फ्रांस, जर्मनी जैसे हस्ताक्षरकर्ता ऐसा ही करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिन्डर लाइज (बच्चों की देखभाल और सरकारी) अधिनियम 2015 के अंतर्गत “बच्चों की देखभाल और सरकारी की आवश्यकता” की परिभाषा की व्याख्या करने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह विशेष रूप से पीड़ित बच्चों जैसे बोने उत्पीड़न और बाल तस्करी को कबर नहीं करता है।

आगे की राह

JJ अधिनियम का अधिनियमन अपेक्षाकृत अधिक आसान भाषा था। यदि दंडात्मक सजा के स्थान पर सुधारात्मक बावदों को पूरा किया जाता है तो, क्लायराल के कार्यान्वयन की स्पष्ट व्याख्या को केंद्र और राज्य सरकारों को मिल कर समझौते करना चाहिए।

1.3.6. बाल विवाह

(Child Marriage)

सुझनों में क्यों?

2011 की जनगणना में पता चलता है कि भारत में बड़े पैमाने पर बाल विवाह होता है; लगभग एक तिहाई विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम की आयु में हो गई थी।

**3 in 10 married in teens, 9 in 10 women by age 25**

Percentage of underage marriages lowest among Sikhs, highest among Hindus, show data

<table>
<thead>
<tr>
<th>उच्चतम साधन</th>
<th>हिंदु</th>
<th>मुस्लिम</th>
<th>ब्रूटीकै</th>
<th>सिख</th>
<th>बुद्धसमुद्र</th>
<th>जैन</th>
<th>लोकसंख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>आयु नीचे 18 वर्ष</td>
<td>31.27</td>
<td>30.57</td>
<td>12.04</td>
<td>10.86</td>
<td>27.8</td>
<td>16.18</td>
<td>30.21</td>
</tr>
<tr>
<td>आयु नीचे 25 वर्ष</td>
<td>91.50</td>
<td>90.90</td>
<td>79.37</td>
<td>88.52</td>
<td>89.39</td>
<td>87.05</td>
<td>91.01</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**EDUCATION AND MARRIAGE**

Higher the level of education, smaller the share of underage weddings

- अलौकिक शिक्षा: 38.1%
- लिटरेट: 23.3%
- लिटरेट लेट: 34.9%
- मिडल बुल्ल: 25.4%
- मैट्रिक: 15.3%
- ग्राजुएट: 5.2%

*Source: Census 2011*
मुख्य निष्कर्ष
- 78.5 लाख लड़कियों की शादी 10 वर्ष से कम की आयु में ही कर दी गयी थी। यह 2011 तक विवाहित महिलाओं का 2.3% है।
- 91% विवाहित महिलाओं की शादी 25 वर्ष की उम्र तक हो गयी थी।
- 30.2% विवाहित महिलाओं (10.3 करोड़) की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गयी थी।
- 2001 की जनगणना के अंकों के अनुसार 43.5% विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गयी थी।

वर्ष के अनुसार ओड़िये
- 31.3% विवाहित हिंदू महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गयी थी, 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 45.1% था।
- 30.6% विवाहित मुस्लिम महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गयी थी, 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 43.1% था।
- 12% विवाहित हिंदू महिलाओं और 10.9% विवाहित सिख महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गयी थी।
- साक्षरता: 38.1% अनपढ़ विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम की आयु में हो गयी थी, जबकि साक्षर विवाहित महिलाओं के लिए यह प्रतिशत 23.3% है।

मूलभूत सत्य
- शहरी क्षेत्रों (29%) की तुलना में ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह (48%) अधिक प्रचलित है।
- सामाजिक तौर पर, बाल विवाह की दर भारत के सभी और पश्चिमी हिस्सों में सबसे अधिक है और देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में यह वर्ष के कम है।
- बिहार और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में लगभग 60% बाल विवाह होते हैं।
- बाल विवाह की राष्ट्रीय औसत से अधिक है, बाल अक्षरता: जम्मू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, अंग्रेज़ प्रदेश, कर्नाटक, चत्तीसगढ़ और वड़पुरा।
- लड़कियों के कुछ निष्पक्ष इलाकों में उड़ बाल विवाह की घटना पाई जाती है।

बाल-विवाह के कारण
- विवाह के अनुसार: इन श्रेणियों में विवाह का प्रचलन अनुपात है तथा परिवार का समुचित प्रबंध नहीं है।
- प्राधिकृत ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट (बाल विवाह विधि अधिनियम), 2006 (PCMA) के बारे में समाज में व्यापक जागरूकता विद्यमान है और लोग यह भी जानते हैं कि बाल विवाह अधिक है। इसके बावजूद, व्यक्तिगत मात्र पर लोग परम्पराओं और सामाजिक मानदंडों को कानून और वैधांतिक संस्थाओं से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यही कारण है कि बहुत कम व्यक्ति ही बाल-विवाह के मामलों की रिपोर्ट सरकार को करते हैं।
- लड़कियों को एक बोझ के रूप में देखा जाता है और यह भी माना जाता है कि परिवार में उनकी अर्थी यूनिकल्रिक नगण्य है।
- लड़कियों के उम्र और उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ने के साथ ही उनके बाल विवाह में मौके जाने वाले व्यवहार की मात्रा भी बढ़ जाती है।
- बाल-विवाह के निषेध के मामलों में कानून का प्रतिक्रिया सामर्थ्यिक रूप से कमजोर है।
बाल विवाह के कुछ बातें

- समय पूर्व बाल विवाह बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ भविष्य में बेहतर अवसर से भी से बंधित करता है।
- यह बच्चों के निर्यात लेने की स्वतंत्रता को सीमित करता है और गरीबी के तुलनात्मक बढ़ाता है।
- बाल विवाह अक्सर विवश ब्याज लोकयोगी में जुड़ा होता है, जिसमें कम की दुल्हन की गर्भ निरोध और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ उनकी सीमित पहुँच आदि।
- इसमें से अधिकांश को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक रूप से परिपक्व होने से पहले लगातार बनने वाले संबंधों, गर्भधारण का दौरान ऐसे समय से पूर्व प्रभाव आदि का सामना करना पड़ता है।
- विवश हिंसा ऐसे बातापन में होती है जहां महिलाएं अत्यंत होती है और महत्वपूर्ण संसाधनों और निर्यात लेने की शक्तियों तक उनकी पहुँच सीमित होती है।
- बाल विवाह लड़कों और लड़कियों के अधिकांशों का उत्साह बच्चों को अधिकारों का समानता करने के प्रयासों को कमजोर करती है।
- बाल-विवाह समाज को समग्र रूप में नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। बाल विवाह वननक्षत्र रूप से और मजबूत बनाता है। यह लैंवग्य भेदभाव, निरस्त्रता तथा कृतीपण के साथ ही व्यापक ब्राह्मण और महत्वपूर्ण संसाधनों तक सीमित होती है।
- सरकार की रणनीतियों समय हार्दिके दार्च्लंग वनषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के बालकों का बाल-विवाह निर्देशन नहीं है।
- बाल विवाह एक अंतिम अपराध है। इसमें एक त्रुटि रूप से तक जुमाना, दो वर्ष के बालवास की सजा या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। यह ऐसा असंक्षिप्त और ढंग-जमानती अपराध है।
- यह वर्तमान के समय में जुमाने के रूप में 15,000 रुपये या बच्चों की राशि में से जो भी अधिक हो और छ: माह से 5 वर्ष तक के कारावास का उपभोग है।
- यह आंनके और अंतर-जमानती अपराध है।
- इसके अतिरिक्त बुनेट ब्रस्टास के वंडर ऐंड प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेफेड (बाल-विवाह निरोधक अधिनियम), 2000, डोमेस्टिक वार्सेन एक्ट (बाल-विवाह निर्देशन अधिनियम), 2005 और प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेफेड फ्रॉम सेक्सुअल सेज एक्ट, 2012 कुछ अन्य कानून हैं जो किसी बाल-वधू को संरक्षण प्रदान करते हैं।
- हाल ही में, UNFPA और UNICEF के सहयोग से राजस्थान सरकार ने राज्य में बाल विवाहों के पूर्ण उन्मुक्त के लिए जिला स्तर पर "साझा अभियान" नामक एक अभियान यात्रा की शुरुआत की है।
- राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (NCPCR) के अनुसंधान से पता चला है कि राजस्थान में बाल विवाहों की सबसे अधिक घटनाएं दस्त हुई हैं।
- यह यात्रा राज्य को बाल विवाह-मुक्त बनाने के लिए सभी समुदायों का एक एकीकृत अभियान प्रारंभ करेगा।
अगे की राहः

- एक समस्तित दृष्टिकोण के द्वारा भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए प्रस्तावित प्रयासों की लागू करना जरूरी है -जहां बच्चों के लिए वैकल्पिक अवसरों की उपलब्धता सामाजिक मानदंडों को बदलने की प्रक्रिया का समर्थन कर तथा साथ ही एक संवैधानिक वातावरण और संरचनात्मक गृहस्थ सहित कानून के प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जा सके।

- एक प्रभावी दृष्टिकोण लोगों को परिवार और सामुदायिक स्तर पर लक्षित करेगा जैसे - गैर-सरकारी संगठन, विभिन्न स्तरों पर संचालित समूह और संस्था स्तर पर काम कर रहे सरकारी अधिकारी।

1.3.7. बाल श्रम

(Child Labour)

2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच के 12.6 मिलियन बाल अभियुक्त हैं। 2011 में, यह संख्या दोगुने ही रूप से बढ़ी। 2009-10 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यान्वयन के सर्वेक्षण के अनुसार यह संख्या 4.98 मिलियन थी।

1.3.7.1 बाल श्रम (निपेध एवं विविघ्न) संशोधन विधेयक, 2016

(Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2016)

युवा विशेषज्ञाएं

- यह विधेयक बाल श्रम (निपेध एवं विविघ्न) अधिनियम, 1986 में संशोधन प्रस्तावित करता है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 83 प्रकार के खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजित प्रति विवेक लगाता है।

- प्रमुख संशोधन:
  - विधेयक में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार में नियोजित नहीं करने की अनुमति दी गई।
  - 14-18 वर्ष के बच्चों को बाल श्रम में नियोजित नहीं करने की अनुमति दी गई।
  - इन प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर अधिक अनुमति प्रदान करने का भी इनकार किया गया है।

- विधेयक पहले विनियमित किए गए 83 खतरनाक व्यवसायों की सूची को निर्देश नीति तक सीमित करता है। इनके तहत बच्चों के लिए पुनर्वास कोष निर्मित किया गया है।

- सकारात्मक पहलुः
  - विधेयक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुरूप है।
  - चूंकि इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम पर पूर्ण विवेक नहीं प्रदान किया गया था, वे निःशुल्क और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार, 2009 के द्वारा प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं।
  - विधेयक में पारंपरिक उद्योगों को खतरे का प्रतिबंध नहीं प्रदान किया गया है, जिसे पहले ही स्थापित किया जा चुका है।
नकारात्मक पहलू

- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्छों को विद्यालयी अध्ययन के घंटों तथा मनोरंजन और खेल के उपरांत एवं छुट्टियों के दौरान परिवार के कारोबार में काम करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्राप्तियाँ का अनुप्रयोग इस रूप से बालकों के श्रम के लिए दुर्योग किया जा सकता है।
- ‘परिवार’ की परिभाषा को परिवर्तित नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में पुनिषेंफ इंडिया की दिशावर्णी महत्वपूर्ण है कि, यह अधिक बच्छों को अविनियमत परिस्थितियों में काम करने के लिए विवेचन कर सकता है।
- यहाँ तक कि परिवार के इस इंसानों में बालक विकास संबंधी ज्ञानकार्यों का कोई जिक नहीं किया गया है। यह यादोत्तर बालकों की इच्छाओं के विरुद्ध है। अतः इस बाल का ध्यान रखना होगा कि कानून का लागू करने के दौरान कानून की भास्ना का उल्लंघन न हो।
- माता-पिता और अन्य आदिवासी, जो क्षेत्र के लिए बालकों को विवेचन करते हैं, के खिलाफ दंड संबंधी प्राप्तियों को नरम बनाना कानून की भास्ना के विपरीत जा सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण विषय

- 2001 से 2011 की जनगणना के बीच (5-14 वर्ष के बीच के आयु वर्ष के) बाल धर्मियों की संख्या में 65% की कमी हुई है तथा यह संख्या 5.26 करोड़ से 15.22 लाख हो गयी है। यह कमी आर्द्रिक, मंत्रमय, धार्मिक रूप से योजना के पहचान के कारण हुई है। नत: समय निवाश से सम्भावित दृष्टिकोण के निमित्त के माध्यम से ही बाल धर्म की इस कीमारी में निजात पाया जा सकता है। बाल धर्म विवेचनीय और ज्ञानीता तो केंद्रीय उपाय उपाय है।
- कूल बाल धर्मियों का लगभग 50% विदेश विश्व, उपनराष्ट्र, राज्यविन चन्द्र और मध्यप्रदेश में कार्यरत हैं। 20% से अधिक अकेले उपनराष्ट्र में है। इसलिए, इस राज्यों पर विवेचन ध्यान देने की जरूरत है।

1.3.7.2. राष्ट्रीय बाल धर्म परियोजना
(National Child Labour Project) (NCLP)

(सूक्ष्म विषयों में क्यों?)

कैलाश चतुर्मण ने राष्ट्रीय बाल धर्म परियोजना के बजट में केवल 2% की वृद्धि पर निराचार व्यवस्था की है।

यह धर्म निविवेचनीय दशक धर्म परियोजना है इसका मूल उद्देश्य रोजगार से हटाये गये बच्छों का उपयुक्त पुनर्वापस करना है जिससे ऐसे लोगों से आता बालक के सभी धर्मियों में बालधर्म की व्यापकता में कमी लाई जा सके।

NCLP निर्माणकुड़ा के लिए प्रयासरत हैं:

- सभी प्रकाश के बालधर्म का निर्माण उपायों में अनुमोदन:
  - परियोजना क्षेत्र में बालधर्म की पहचान करना और सभी बच्छों को जाना जा सके।
  - काम से हटाए गए बच्छों को शिक्षा के मुख्यधारा में शामिल करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार करना।
  - बच्छों और उनके परिवारों के लाभ के लिए विविधता स्थानीय विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की वृद्धि और सुधार करना।

खतरनाक व्यावसायिक व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों को मुग्ध बना कर, व्यावसायिक विकास के दौरान बाल धर्मियों की जाने वाली सेवाओं की वृद्धि का काम करना।

Karol Bagh 1/8-B, 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Gate 6, Karol Bagh Metro, Delhi-110005
Mukherjee Nagar: 101, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Delhi-110009
www.visionias.in 8468022022 ©Vision IAS
सभी हितधारकों और लशिक्षि समुदायों के बीच आगस्तकता बढ़ाना और 'बाल श्रम' और 'खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों को काम पर लगाने' के विरुद्ध NCLP और अन्य पदाधिकारियों को दिशा निरंतर देना।

बाल श्रम मॉनिटरिंग, ट्रेडिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम का निर्माण।

लशिक्षि समूह:
- पहचान किए गए लशिक्षि क्षेत्र में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बाल श्रमिक।
- लशिक्षि क्षेत्र में खतरनाक व्यवसायों में 18 वर्ष से कम के काम पर लगाये गये बाल श्रमिक।
- पहचान किए गए लशिक्षि क्षेत्र में बाल श्रमिकों के परिवार।

कार्यनीति:
- लशिक्षि क्षेत्र में एक ऐसा संघ शाहील बनाना, जहाँ विभिन्न उपायों के द्वारा बच्चों विद्यालयों में प्रवेश के लिए और काम से दूर रहने के लिए प्रेरित हो।
- परिवारों के आय न्यूट में मुद्दा के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना।
- इसका कार्यान्वयन राज्य, शिक्षा प्रशासन और विविध सोसाइटी के बेहतर समन्वय से किया जाएगा।
- बालथम के उल्लम्बन का संयुक्त उन्नतविद्युत्त रोजगार एवं धम मन्त्रालय और राज्य मर्कारी का है।

आपेक्षिक परिणाम:
- सभी प्रकार के बालथमों की पहचान और उल्लम्बन में योगदान।
- लशिक्षि क्षेत्र में खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत किशोरों की पहचान करना और उन्हें बहां से हटाना।
- बालथम से हटाये गए सभी बालों के नकलनपूर्व निर्मित विद्यालयों की मुख्य धारा में लाना और NCLPs के माध्यम से पुनर्वसृत करना।
- खतरनाक व्यवसायों से हटाये गए एन्वियों को, जो कीर्तिप्रशिक्षण से लाभान्वित हुए हैं, जहां भी आवश्यक हो, कानूनी रूप से व्यवहार्य व्यवसायों से उन्हें समस्त करना।
- सोशल मोबिलाइजेशन कार्यरतों के परिणामस्वरूप अपेक्षित अधिक बेहतर जानकारी बाल समुदायों, लशिक्षि समूह और जनमान्य को बालथम के उत्प्रेरित के प्रति आयुक्त बनाना।
- प्रशिक्षण के द्वारा NCLP कस्बरारों और अन्य पदाधिकारियों की बालथम के मुद्दे को सुलझाने के लिए क्षमता का निर्माण करना।

### 100 मिलियन के लिए 100 मिलियन

यह केलार समय के लिए उन्नतविद्युत्त राज्यों में विद्यालयों का संघर्ष द्वारा आयोजित अभियान है जिसका उद्देश्य बालों के लिए सम्पूर्ण किया गया है। इसके माध्यम से केवल 5 वर्षों में बाल नजर वृद्धि, बाल समाज, बाल श्रमिकों के प्रति संबंध का समाप्त किया जाएगा तथा बाल अधिकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो व्यवस्था सहचरी और बाल बच्चों को सुरक्षित, स्वभाव और शिक्षित हो सके।

### 1.3.7.3. ILO कर्नवेशन की अभिपुणि

(Ratification of ILO Convention)

भारत ने हाल ही में ILO कर्नवेशन 182 जो कि बालथम के निकृष्टत रूप से समर्थित है और ILO कर्नवेशन 138 जो कि नियोजन की न्यूनतम आयु से समर्थित है, इन दोनों की अभिपुणित की है। बाल ध्वनि को समाप्त करने के दिशा में इनके निर्देश प्रभाव होगे-
• बाल शोषण पर जीरो टॉलरेंस – सरकार बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या मनोरंजन को क्षति पहुंचाने वाले निकृष्टतम प्रकार के बाल श्रम पर प्रतिबंध और उपभोग के लिए लंबित, आवश्यक और प्रभावी उपाय करेगी।

• न्यूनतम आय निर्धारण – इसके लिए, भारत को यह मुन्निशित करने की आवश्यकता है कि निम्नित आय नीति में नीचे किसी का भी किसी भी प्रकार के व्यस्माय में बच्चों को (हल्के कार्य और कलात्मक प्रदर्शन को छोड़ कर) काम के लिए भती नहीं किया जा सकता।

• बाल श्रम के निकृष्टता प्रकार का प्रतिबंधित करना – भारत को बाल श्रम के निकृष्टतम रूपो का दायित्व, कृष्णास्त करके बंधुआ मजदूरी, गुलामी या बलत श्रम भती की प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है।

• बालश्रम समावेश के अन्य कई समाबेशप्रकतिपर रणफू आयें हैं, जैसे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में निरंश, आर्थिक भूमिका निरंश हटृ बच्चों पर तनाव में भरम, बेचने के लिए पाए कर्म सयम, व्यस्माय व्यस्माय का अधिकार आदि। परन्तु, बच्चों के विद्वांश शोधन की समस्या की दिशा में अंतिम सफलता सामाजिक सहायता, राजनीतिक इन्फ्लाक्स और बच्चों के विकास और संरचना पर संबंधितों में निवेशन पर निर्भर करती है। इसका केवल भयानक हो सकता है जब बच्चों की बालश्रम की ओर प्रवेश करने वाले कारणों जैसे निर्भरता, बेरोजगारी, सामाजिक दृष्टि का आभाव, जनजीवन का अपवाद बढ़ जाता हो जायेंगे।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.